कुरुक्षेत्र

मई 1983
मूल्य : 1 रु०

पिछड़े इलाकों में ग्रामोद्योगों को और अधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता

ग्रामीण भाई रोजगार की तलाश में जब शहरों में आते हैं तो समस्या कम होने की बजाय बढ़ जाती है। शहरों में रोजगार मिल नहीं पाता और गांव में उपलब्ध थोड़ी बहुत आय के साधनों का वह समुचित उपयोग नहीं कर पाता। फलस्वरूप गरीबी, सामाजिक असंतोष और पिछड़ापन बढ़ जाता है। इसका एकमात्र उपाय है—ग्रामीण उद्योगीकरण।

निम्न स्तर पर ग्रामीण गरीबी पर प्रहार करने के लिए समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण उद्योगीकरण को विषेष भूमिका सौंपी गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कमजोर वर्गों की आय एवं साधनों को बढ़ाना और भूमि, जल तथा सूर्य की रोशनी के बेहतर उपयोग के आधार पर कृषि एवं तत्सम्बन्धित क्षेत्र के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना है। इसके कार्यान्वयन की पद्धति यह है कि किसी खास प्रखंड में सर्वप्रथम आधारभूत सर्वेक्षण करके गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को पहचाना जाए। लाभकारी परिवारों को पहचानने के पश्चात् उपयुक्त योजना तथा प्रशिक्षण के जरिये उनकी उत्पादक परिसम्पत्तियों तथा/या समुचित कारीगरी प्राप्त करने में मदद की जाए। उनका उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्हें आवश्यक अवस्थापना, साख सुविधाएं, विपणन व्यवस्था तथा अन्य सहायक सेवाएं प्रदान करनी होंगी। कार्यक्रम में एकमुश्त सहायता देने की कल्पना की गई है, ताकि वे उत्पादक परिसम्पत्तियों, प्रौद्योगिकी और कारीगरी के सहारे सक्षम आर्थिक कार्यों को अपनाकर गरीबी रेखा से ऊपर आ सकें। पशुपालन, दुग्ध उद्योग, वन विद्या, मत्स्य उद्योग, रेशमकीट पालन, कृषि उत्पादन का प्रशोधन, कुटीर तथा ग्रामीण उद्योग आदि के विकास के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और साथ-साथ भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के उपाय प्रखंड योजना के प्रमुख घटक हैं।

सरकार ने जल्दी ही 'ग्रामीण विकास के लिए प्रधानमंत्री का कोष' नामक एक कोष स्थापित करने की घोषणा भी की है। इसमें दिए जाने वाले अंशदान को आयकर से मुक्त रखा जाएगा। पशु प्रजनन या डेरी उद्योग अथवा मुर्गीपालन के कारोबार से और कुकुरमुत्ता (खुंबी) उगाने के कारोबार से प्राप्त होने वाले लाभों और अभिलाभों के सम्बन्ध में जो अब तक विषेष कटौती अनुमत थी, उसे भी वापिस लेने का इस वर्ष के बजट में प्रस्ताव है।

ग्रामीण युवक आत्मनिर्भर होकर स्वयं उद्योग धंधा कर सकें इसके लिए एक राष्ट्रीय योजना 'ट्राइसेम' (बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने के लिए ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देना) शुरू की गई है। इसमें छोटे एवं सीमान्त किसानों, आदिवासी, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को वरीयता दी जा रही है। प्रशिक्षण में ग्रामीण क्रियाकलाप से सम्बद्ध साधनों जैसे ट्रैक्टर, नलकूप, कृषि मशीनों को बनाना, खादी व रेशम के कपड़ों का निर्माण तथा छोटे और लघु उद्योग स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था है। ट्राइसेम कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवर्ष 2 लाख ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है।

गांवों के आर्थिक और सामाजिक विकास में ग्रामीण उद्योगों की विशेष भूमिका है अतः ग्रामीण उद्योगों का विकास अत्यन्त आवश्यक है। कई राज्य तो ऐसे हैं जिनके अधिकांश पिछड़े इलाकों में कोई उद्योग ही नहीं है। सरकार की यह नीति रही है कि नए उद्योग पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित हों। इस घोषित नीति के बावजूद कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। क्योंकि पिछड़े इलाकों में समुचित सुविधाओं का अभाव होता है। लेकिन जब वहां उद्योग लग जाएंगे तो सारी सुविधाएं स्वयं उपलब्ध हो जाएंगी, रोजगार बढ़ेगा, फलस्वरूप इन पिछड़े इलाकों में तेजी से विकास भी होगा। गांवों में उद्योगीकरण से व्यापक समझ और सदभावना आएगी और नए ढंग से सोचने की प्रक्रिया बढ़ेगी। □

मज़दूर मंज़िल

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : **सम्पादक, कुरुक्षेत्र** (हिन्दी), ग्रामीण विकास मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

एक प्रति : 1 रु०, वार्षिक चन्दा : 10 रु०

व्यापार व्यवस्थापक : एस० एल० जायसवाल
सहायक व्यापार व्यवस्थापक :
एल० आर० बत्रा
सहायक निदेशक (उत्पादन) :
के० आर० कृष्णन

दूरभाष : 382406

सम्पादक : श्रीमती सुमन शर्मा
उपसम्पादक : राधे लाल
आवरण पृष्ठ : परमार

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास का प्रमुख मासिक

वर्ष 28 **वैशाख–ज्येष्ठ 1905** **अंक 7**

इस अंक में **पृष्ठ संख्या**

ग्रामोद्योगों का आयोजन 2
फहीमुद्दीन

त्याग (लघु कथा) 4
राजेन्द्र परदेसी

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में ग्रामीण उद्योगों की भूमिका 6
बी० डी० कविदयाल एवं के० सी० जोशी

केरल शोभा (कविता) 8
राजेन्द्र शर्मा

असहायों का सम्बल 9
तरवंत सिंह कीर

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम : एक रिपोर्ट 12

पौष्टिक आहार के लिए—जलखेती 14
अनुराग पाठक

राजस्थान में ऊन-आधारित उद्योगों की विपुल संभावनाएं 16
पन्ना लाल हर्ष

हीरे बन गए 19
सुधा सेठ

ग्रामीण औद्योगीकरण : आवश्यकता और स्वरूप 20
बृजेश कुमार बाजपेयी *देवेंद्र कुमार बाजपेयी

हरियाणा की ग्रामीण उद्योग योजना 24
गंगाशरण सैनी

खुशहाली (कविता) 27
रमन गुप्त

खाना पकाते समय पोषक तत्वों को नष्ट होने से कैसे बचाएं 28

केन्द्र के समाचार 31

लंगरोया गांव का कायाकल्प आवरण पृष्ठ-3

ग्रामोउद्योगों का आयोजन

आज देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और औद्योगिक विकास कार्यों में जहां एक ओर वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर बढ़ती हुई बेरोजगारी और असमानता ने देश की आर्थिक स्थिति में एक विरोधाभास उत्पन्न कर दिया है। हमारे देश की 72 प्रतिशत से भी अधिक की जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है तथा व्यापक आर्थिक विकास कार्यों के बावजूद भी प्रति-व्यक्ति आय जो 1960–61 में 210.00 रुपये थी, घटकर 1976–77 में 195.00 रु० हो गई जबकि इस क्षेत्र में 1961–62 में 254 करोड़ रु० की पूंजी लगाई गई थी जिसे 1976–77 में बढ़ाकर 510 करोड़ कर दिया गया था। भारत विश्व का दसवां विशाल औद्योगिक देश है तथा योजना आयोग के अनुसार 1977–78 के दौरान देश की 48.13 प्रतिशत या यों कहिए 30.52 करोड़ जनता गरीबी की रेखा से नीचे थी। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार करीब 200 लाख व्यक्ति पूरी तरह बेरोजगार हैं और यदि इसमें प्रतिवर्ष 50 लाख की वृद्धि हो तो छठी योजना के दौरान 460 लाख लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यहां यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि आज भी बड़ी संख्या में लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं जिन्हें अंशकालिक रोजगार की आवश्यकता है।

यदि मान भी लिया जाए कि औद्योगिक विकास में गति आई है तो भी यह नहीं कहा जा सकता है कि उससे अधिक लोगों को वास्तव में लाभ हुआ है। इतिहास साक्षी है कि पिछली दस दशाब्दिक जनगणनाओं में यद्यपि बड़े पैमाने पर निर्माण और रचनात्मक क्षेत्रों में विकास हुआ है फिर भी अभी तक अधिकांश लोग कृषि कार्य में ही लगे हुए हैं। यदि आंकड़ों को देखा जाए तो जहां 1921 में 73 प्रतिशत लोग इस कार्य में लगे थे, 1961 में भी इस कार्य में लगे लोगों की संख्या 73 प्रतिशत ही थी और 1978 में तो यह 73.8 प्रतिशत हो गई थी। संगठित औद्योगिक क्षेत्रों में जहाँ पूंजी और आधुनिकतम तकनीक की अधिकता होती है सहज ही रोजगार की क्षमता कम हो जाती है। उदाहरण के लिए 1961 और 1971 के दौरान आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों में पूंजी में 139 प्रतिशत और उत्पादन में 161 प्रतिशत की वृद्धि हुई परन्तु जहां तक रोजगार का संबंध है उसमें केवल 71 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। अतः कुल उत्पादन की प्रति इकाई पर रोजगार में 34 प्रतिशत की कमी आई और प्रति इकाई पूंजी पर यह कमी 28 प्रतिशत रही। यदि औद्योगिक विकास में 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि मान लें जैसा कि अभी है तो 295 लाख नए कारीगरों में से केवल 27 लाख को ही इन संगठित उद्योगों में काम मिल सकेगा और यदि वृद्धि दर में 7 प्रतिशत की वृद्धि हो तो सम्पूर्ण संगठित औद्योगिक क्षेत्र में उक्त 27 लाख के अतिरिक्त केवल 2.6 लाख और लोगों को काम मिल सकेगा। कृषि तथा इन औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार की इस न्यूनतम क्षमता को देखते हुए प्रति वर्ष बढ़ने वाली बेरोजगारों की खपत का एक ही रास्ता है – ग्रामोद्योगों का विकास। इससे ग्रामीण कारीगरों और छोटे तथा सीमान्त किसानों की आय में वृद्धि होगी।

रोजगार सुविधाएं

ग्रामोद्योगों में ग्रामीण जनता को रोजगार के सुअवसर प्रदान करने के कई सामाजिक और आर्थिक लाभ हैं (1) ग्रामीण जनता को गावों में ही परम्परागत कार्य में ही खपाया जा सकता है। इससे गावों का अस्तित्व बना रहेगा और शहरों के प्रति आकर्षण और शहरीकरण से उठने वाली समस्याओं का भी समाधान हो सकेगा। (2) परम्परागत कार्य क्षेत्रों में निजी रोजगार की सुविधा होती है जिसे रोजगार के क्षेत्रों में सर्वोत्तम माना गया है क्योंकि यह श्रमिक स्वयं ही उद्योग का मालिक भी होता है। (3) ग्रामोद्योगों में तैयार की जाने वाली वस्तुएं ग्राम जनता के उपयोग के लिए होती है और उनका उत्पादन बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है। अतः उन्हें बेचने और उससे सम्बन्धित अन्य समस्याओं का सम्बन्ध रोजगार की

फहीमुद्दीन
गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ (उ०प्र०)

समस्या से बहुत कम होता है। (4) कृषि कार्य की श्रमिक आवश्यकताओं को देखते हुए इन कार्यों में ग्रामीण जनता को पूर्णकालिक और अंश कालिक रोजगार तो दिया ही जा सकता है साथ ही साथ उपलब्ध कच्चे माल और स्थानीय कारीगरी का पूर्ण उपयोग भी किया जा सकता है। (5) इन उद्योगों में पूंजी-श्रम का अनुपात भी कम है (6) वर्तमान आर्थिक स्थिति में आवश्यकता "बहुमात्रा उत्पादन" की नहीं है बल्कि "सामूहिक उत्पादन" की है। यहां यह बता देना भी आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए भी रोजगार व्यवस्था की जानी चाहिए और ग्रामोद्योग ही ऐसी सुविधाएं जुटा सकता है जिससे ग्रामीण महिलाएं अपने खाली समय का सदुपयोग कर सकें।

[illegible] हुआ

[illegible] ने उत्पादन के विकेन्द्रीकरण पर [illegible] था, उनके इसी आर्थिक चिंतन पर ही ग्रामोद्योग विकास को बल मिला है। स्वदेशी आन्दोलन के दौरान ही उन्होंने इसका आह्वान किया था जिसमें जनता के द्वारा जनता के लिए उत्पादन पर जोर दिया गया था, परन्तु इसके विपरीत उत्पादन और वितरण के पूंजीवादी सिद्धान्तों के अपनाए जाने के कारण ग्रामीण विकास के जरूरी उद्देश्यों की पूर्ति न हो पाई। विकास की गति केवल बहुमात्रा उत्पादन, आधुनिक तकनीकी और लाभांश के दायरे में बंध कर ही रह गई। ग्रामीण कारीगरों के पास हस्तकौशल तो था परन्तु पैसा न रहा जिससे वे आधुनिक तकनीकी को अपनाने के लिए पैसा खर्च कर सकें। इसके साथ ही ग्रामीण स्तर पर सम्पूर्ण कार्य प्रणाली पर साहुकारों का अधिपत्य हो गया जिन्होंने सहकारी समितियों को अपने हाथ में ले लिया। इसके अतिरिक्त ग्रामोद्योगों की वस्तुएं अपेक्षाकृत घटिया किस्म की होने के कारण बड़े उद्योगों में बनी वस्तुओं का मुकाबला न कर सकीं और ग्रामीण कारीगरों को जबरन अपना यह काम छोड़ना पड़ा और जो उन्हीं कामों में लगे रहे, अधिक दिनों तक चला न सके और उन्हें भी नए साधनों और सहयोगों का सहारा लेना ही पड़ा।

सर्वप्रथम तो तकनीकी ज्ञान के स्तर में सुधार लाना आवश्यक है। इसमें सुधार लाने के लिए श्रम पुंजी अनुपात का अनुमान, लागत-लाभ विश्लेषण, लागत और उत्पादन का अन्तर ही इसके मूल आधार हैं जो केवल आर्थिक पहलू से ही नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी कम महत्वपूर्ण नहीं। सभी जानते हैं कि भारत में लाखों की तादाद में रोजगार की आवश्यकता है परन्तु उस नीति में खतरा है जो रोजगार आंकड़ों में केवल सुधार लाने के लिए अपनाई जाती है। इस प्रकार अन्धाधुंध रोजगार देने से उत्पादन में कमी आएगी, कार्यरत लोगों को तरक्की की सुविधा नहीं मिलेगी और उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। अतः केवल नए कौशल, तकनीकी ज्ञान में वृद्धि और उत्पादन में विविधिकरण लाने मात्र से ही ग्रामीण विकास में कारगर मदद नहीं मिल सकती। पारम्परिक तकनीकी में नवीनीकरण सुधार की [illegible] को नए हस्तचालित चरखे के रूप में जाना जा सकता है जिसे 'एप्रोप्रिएट टेकनालाजी डेवलपमेंट एसोसिएशन', लखनऊ और 'टेकनालाजी डेवलपमेंट ग्रुप' लंदन द्वारा सुधारा गया जिससे ऊन कातने वालों की आमदनी 2 रुपये 50 पैसे प्रति दिन से बढ़ कर 8 रु० प्रति दिन हो जाएगी। अतः प्रत्येक सामान्य सामग्री और उसकी खपत के लिए उपयुक्त तकनीकी ज्ञान और अनुभव का होना वास्तव में विचारणीय विषय है।

विपणन व्यवस्था

ग्रामोद्योगों को सफलतापूर्वक चलाने के लिए जो समस्याएं सामने आती हैं उनमें प्रमुख हैं समुचित विपणन व्यवस्था की कमी। यदि व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो देश को 5.6 लाख गांवों में से 5 लाख गांवों में तो बिक्री-खरीद की सुविधा है ही नहीं। अतः यह आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त स्थानीय बाजार हो ताकि ग्रामोद्योगों की वस्तुओं को ग्रामीण जनता तक पहुंचाया जा सके। चूंकि ग्रामीण लोग प्रायः भौतिकवादी नहीं होते हैं अतः ग्रामोद्योगों की वस्तुएं उनकी पसन्द और आवश्यकता के अनुकूल होती हैं। 'जनता द्वारा जनता के लिए उत्पादन' की गांधीवादी विचारधारा ग्रामोद्योगों के विकास में दो तरह से उपयोगी हो सकती है: (1) चूंकि अधिक से अधिक लोगों को इससे लाभ होगा और बाजार की समस्या कम होगी अतः उत्पादन और वितरण में अन्तर कम हो जाएगा। (2) ग्रामोद्योगों और बड़े उद्योगों में निर्मित वस्तुओं की प्रतियोगिता कम होगी। अतः प्रयास यही किया जाना चाहिए कि ग्रामोद्योगों की अधिकांश उत्पादित वस्तुओं की खपत गांवों में ही हो। साथ ही यह भी आवश्यक है कि जिन वस्तुओं की खपत वहां न हो उनके लिए दूर-दराज के बाजारों में बिक्री की व्यवस्था की जाए। इसके लिए नियति बाजार और वहां कारीगरी की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता है। विपणन नीति और आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण बड़े उद्योग इन परम्परागत उद्योगों में छाए हुए हैं।

ऋण की आवश्यकता

ग्रामोद्योगों में अपेक्षाकृत कम पूंजी की आवश्यकता होती है जबकि ग्रामीण कारीगरों के पास केवल कला ही होती है। अतः उन्हें बिना किसी जमानत के उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऋण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वे अपना काम शुरु कर सकें और उसे चला सकें। उन उद्योगों के लिए जिनकी आवश्यकता 25000 रु० से अधिक नहीं थी, दिसम्बर 1978 में संयुक्त ऋण योजना लागू की गई थी परन्तु उसका कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। वास्तव में स्थिति बहुत निराशाजनक रही यहां तक कि बैंकों ने इस योजना के कार्यक्रम की पूरी जानकारी भी एकत्र नहीं की। कुल मिला कर, बैंकों ने जमानत पर ही जोर दिया जबकि इस योजना का मूल उद्देश्य छोटे से छोटे कारीगर को बिना जमानत के ऋण देना था। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीण कारीगरों के बजाए प्रायः बड़े उद्योग ही उठाते हैं जिनकी स्थिति अच्छी है। अतः ग्रामोद्योगों को ऋण देने के लिए ऐसी योजना लागू करने की आवश्यकता है जिसमें पूर्णतः भिन्न मानदण्ड हो, जिसमें ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों की ऋण की आवश्यकताओं का अलग और स्पष्ट उल्लेख हो।

कारीगरों के लिए सुविधाओं का अभाव

ग्रामीण कारीगर दूर-दराज के गांवों में बसे हुए हैं तथा उन्हें कच्चा माल भी आसानी से स्थानीय बाजारों में नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त आधार भूत आवश्यकताओं जैसे सड़क बिजली और संचार की समुचित व्यवस्था न होने के कारण उत्पादित माल को बेचने की सुविधा भी उनके पास नहीं होती है। इस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक केवल गांवों में विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत ही तीन लाख बेरोजगारों को काम मिलने की सम्भावना है। इसके अलावा कच्चा माल, उचित प्रौद्योगिक और ब्लाक स्तर पर बिक्री की सुविधा जैसी सामान्य सुविधाओं के मिल जाने से एक ओर जहां औद्योगिक संरचना को सहयोग मिलेगा वहीं दूसरी ओर उत्पादन और उपयोग की दूरी कम होगी। यदि सुविधाएं ब्लाक स्तर पर मिलने लगे तो कारीगर उनका आसानी से लाभ उठा सकेंगे और स्थानीय जनता को भी उत्पादित माल स्थानीय रूप से मिलने लगेगा। इसके अतिरिक्त

ग्रामोद्योगों को बिक्री और अन्य आधारिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।

जिला औद्योगिक समितियों का उद्देश्य है विकास कार्यक्रमों को शहरों की अपेक्षा कस्बों में लागू करना ताकि लघु और ग्रामोद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। परन्तु ग्रामोद्योगों के विकास के लिए सम्पूर्ण नीति में परिवर्तन करना होगा और ब्लाक स्तर के ऐसे सभी सम्भावित उद्योगों का पता करना होगा। इसके बाद ही जिला औद्योगिक समितियों और ब्लाकों को एक ऐसी नीति निर्धारित करनी होगी जिसमें कृषि विकास कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया हो। इस प्रकार जिला औद्योगिक समितियों और ब्लाकों तथा कृषि विकास और ग्रामोद्योगों के समन्वय से स्वतः ही ग्रामोद्योगों का विकास होने लगेगा।

वर्तमान आर्थिक स्थिति में ग्रामोद्यो● का विकास आवश्यक है क्योंकि इससे उन लोगों को रोजगार मिल सकेगा जिन्हें विकास कार्यक्रमों से अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ है। □

अनुवाद
संजीव चटर्जी,
सी-133 सरोजनी नगर, नई दिल्ली

लघुकथा

* त्याग *

राजेन्द्र परदेसी

"बाबू जी के यहां से चिट्ठी आई है। लिखा है, महाजन पैसा मांग रहा है। कितनी बार आ चका है। कह रहा है कि अगर पैसा न दे सकें तो जमीन ही रेहन कर दें। बेकार में सूद बढ़ रहा है।"

पत्नी एक सांस में चिट्ठी का मजबून सुना गई। वह कुछ न बोला तो पत्नी ने कहा, "और लिखा है कि कई चिट्ठियां भेज चुका हूं। किसी का जवाब नहीं आया।" फिर स्वयं ही सलाह देते हुए बोली, "जवाब क्यों नहीं भेज देते।"

इस बार वह मौन न रह सका लेकिन उसकी बातों से लगा कि वह आन्तरिक रूप से काफी दुखी है, तभी तो बोला, "तुम्हीं क्यों नहीं जवाब भेज देतीं।"

"तो मुझ पर क्यों नाराज हो रहे हो?" पत्नी जाते-जाते बोली।

वह अकेला बैठता सोचता रहा। क्या जवाब दूं उसने तो पहले ही मना किया था, पिता जी अधिक गहने मत बनवाओ, आजकल कौन पहनता है। इससे तो अच्छा है कि न बनवाया जाए। बात अपनी पूरी कह भी न पाया था कि पिता जी बिगड़ पड़े थे—"अरे! ठाकुर भूला सिंह के बेटे की शादी है। किसी ऐरे-गैरे की नहीं। तू चुपचाप जाकर बैठ। जब तू अपने बेटे की शादी रचाना तो जो मन में आए करना। मैं देखने नहीं जाऊंगा।"

वह चुपचाप चला आया था। शादी तक कुछ नहीं बोला था। पिता के मन में जो आया किया। लेकिन जब लौटने लगा तो वह बोले थे, "बेटा श्यामू! काम पर वापस जा रहे हो क्या?"

"हां बाबू जी! अब छुट्टी खत्म हो गई है कल ज्वाइन करना है।"

"बेटे! तुम्हारे ब्याह में पांच हजार कर्ज हो गया है। और सबका तो मैं किसी तरह अनाज बेचकर चुका दूंगा, लेकिन सुनार का तीन हजार है। उसके लिए कुछ व्यवस्था करनी है।"

"कोशिश करूंगा बाबू जी।"

"जरा जल्दी करना बेटा।"

"अच्छा बाबू जी।"

कहने को तो उसने कह दिया था। आज साल होने को आया, लेकिन कुछ प्रबन्ध न हो सका। इन्हीं बातों से वह चिन्तित था कि पत्नी चाय सामने रखते हुए बोली। "बेकार में चिन्ता करने से तो कुछ होगा नहीं। अगर मेरी बात मानो तो कहूं।"

"बोलो! क्या है?"

"मानोगे?"

"ठीक बात होगी तो मानूंगा क्यों नहीं।"

"तुम जाकर सुनार को गहने वापस कर आओ।"

पत्नी की बातों को सुनकर वह चौंक पड़ा। नारी जिसके लिए गहने उतने ही प्रिय होते हैं, जितना उसका सुहाग। वही आज उसे स्वेच्छा से त्यागने को तैयार है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। इसीलिए पुनः पूछा, "क्या कह रही हो?"

पुरुष ने सदैव नारी पर अविश्वास ही किया है। नारी इससे परचित होती है। तभी तो बिना अधिक कुछ कहे पत्नी कमरे में चली गई। वहां से गहने का बक्सा लाकर उसके सम्मुख रख दिया। फिर बोली "यह लो। कल छुट्टी है। आज ही गांव चले जाओ। वहां जाकर स्वयं ही सुनार को गहने वापस कर आओ। जो कम बेश होगा, वह बाद में दे दिया जाएगा।"

"गहने वापस करने से तुम्हें दुख तो होगा ही।" पुनः अविश्वास की तराजू पर नारी को तोलते हुए पूछा।

नारी! वह तो राम के युग से ही परीक्षा देती आई है। फिर इस बार कैसे असफल होती। तभी तो वह बोली, "वापस करने से तो दुःख न होगा, लेकिन तुमने मेरी बात न मानी तो बहुत दुःख होगा।" ▭

सहायक अभियन्ता
निकट त्रिपाठी चित्र मंदिर,
गांधीनगर, बस्ती (उ०प्र०)

बजट में ग्रामीण विकास के लिए अधिक धन राशि की व्यवस्था

वर्ष 1983-84 की केन्द्रीय क्षेत्र की आयोजना में बीस सूत्री कार्यक्रम के लिए 2,747 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है जो चालू वर्ष की आयोजना के व्यय से 26.8 प्रतिशत ज्यादा है। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की 1983-84 की योजनाओं में इस कार्यक्रम के लिए 7,332 करोड़ रुपये की व्यवस्था होगी। इस प्रकार अगले वर्ष बीस सूत्री कार्यक्रम के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की व्यवस्था हो जाएगी।

अगले वर्ष के कार्यक्रम में कृषि विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है। इस क्षेत्र का कुल परिव्यय 608 करोड़ रुपये का होगा। इसमें 200 करोड़ रुपये की राशि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के लिए है। वर्ष 1983-84 में दो प्रमुख कार्यक्रम कार्यान्वियन के लिए हाथ में लिए जाएंगे; एक तिलहन विकास के लिए और दूसरा बारानी भूमि में खेती के लिए होगा। ये दोनों कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ग्राम विकास की अन्य योजनाओं पर 1983-84 में 480 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जो चालू वर्ष के अनुमान से 61 करोड़ रुपये ज्यादा है। इन विकास कार्यक्रमों से ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 30 लाख परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठने में सहायता मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में 3500 लाख कार्य दिवसों के बराबर रोजगार पैदा होगा।

त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम की प्रगति को देखते हुए 1983-84 में इसका व्यय 200 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि चालू वर्ष के संशोधित अनुमान में, यह 155 करोड़ रुपये होगा। राज्य सरकार भी अपनी ओर से 319 करोड़ रुपये निर्धारित करेंगी और आशा है कि 1983-84 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 48,000 और गांव आ जाएंगे।

बच्चों की भलाई के कार्यक्रमों में एकीकृत बाल विकास सेवा अब तक 620 परियोजनाओं में लागू हो चुकी है। 1983-84 में इसे 200 और परियोजनाओं में लागू करने का प्रस्ताव है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भलाई के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 1983-84 की केन्द्रीय योजना में पहले से अधिक, यानि 176 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

अगले वर्ष परिवार कल्याण कार्यक्रमों को नए उत्साह के साथ चलाया जाएगा और इन्हें 170 लाख व्यक्तियों पर लागू किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के लिए 330 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है।

क्या आप जानते हैं कि......

*गलगंठ एक ऐसा रोग है जिससे गले की ग्रंथि बढ़ जाती है और गले में आगे सूजन आ जाती है।

*हिमालय की दक्षिणी पहाड़ियों, कश्मीर, नगा पहाड़ियों और समीपवर्ती निचली पहाड़ियों और मैदानी इलाके का 2400 किलोमीटर क्षेत्र गलगंठ रोग से पीड़ित है। सर्वेक्षणों के दौरान ऐसे और क्षेत्रों का भी पता लग रहा है जो इस रोग की चपेट में आ सकते हैं।

*इस क्षेत्र में लगभग 12 करोड़ लोग रहते हैं जिसमें से 4 करोड़ लोग गलगंठ रोग से पीड़ित हैं।

*इसमें तीन जिले उत्तर प्रदेश के, दो जिले बिहार के और एक जिला मध्यप्रदेश का है। इसके अतिरिक्त पूरा मिजोरम इस रोग से पीड़ित है। यहां पर 50 प्रतिशत लोग गलगंठ से पीड़ित हैं।

*इस रोग से मानसिक और शारीरिक विकास में बाधा आती है तथा जहां पर कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत भाग गलगंठ से पीड़ित है वहां पर चार प्रतिशत लोग गूंगे, बहरे और अन्धे हो जाते हैं तथा ऐसे क्षेत्रों में 15 से 20 प्रतिशत लोगों की गले की ग्रंथि काम करना बन्द कर देती हैं।

*इस रोग का कारण वहां पर आयोडीन की कमी होना बताया गया है।

*भारत सरकार ने गलगंठ ग्रस्त क्षेत्रों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय गलगंठ नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रोगग्रस्त क्षेत्रों में आयोडीन युक्त नमक सप्लाई किया जा रहा है।

*हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, नगालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और चण्डीगढ़ के पूरे क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के पांच, पंजाब के तीन, हरियाणा का एक, उत्तर-प्रदेश के नौ और बिहार के दो जिलों को आयोडीन युक्त नमक सप्लाई किया जा रहा है।

*राष्ट्रीय गलगंठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 7,00,000 टन आयोडीन युक्त नमक की आवश्यकता पड़ती है। □

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में

ग्रामीण उद्योगों की

भूमिका

बी० डी० कविदयाल

ग्राम प्रधान देश भारत के जनसामान्य के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने हेतु ग्रामीण उद्योगों के विकास की धारणा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की राष्ट्र के लिए एक महान देन थी, किन्तु देशवासी उनके इस विचार के महत्व को काफी देर बाद समझ पाए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि गांधी जी की इस देन को यथार्थरूप में स्वीकार किया जाए।

के० सी० जोशी

क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को पांच आर्थिक क्षेत्रों-पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, केन्द्रीय क्षेत्र तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत कुमायुं तथा गढ़वाल मण्डल के आठ जिलों को सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल 51 हजार वर्ग कि० मी० है, जो पूरे उत्तर प्रदेश का लगभग 17.4 प्रतिशत है। इसमें 4328 वर्ग कि० मी० तराई, 6343 वर्ग कि० मी० भाबर और 40329 वर्ग कि० मी० पहाड़ी भाग है। वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र में प्रदेश की 4.4 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है।

किसी भी क्षेत्र का आर्थिक विकास दो बातों पर निर्भर करता है। प्रथम उस क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन और द्वितीय आधारभूत संरचना (जैसे-पूंजी, शिक्षित एवं साहसी श्रम, शक्ति के साधन, यातायात एवं संवादवाहन के साधन आदि) की विद्यमानता। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले निम्नांकित प्राकृतिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह क्षेत्र प्राकृतिक सम्पदा की दृष्टि से धनी है।

कृषि

कृषि की दृष्टि से पर्वतीय क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—पहाड़ी और मैदानी भाग। यद्यपि पहाड़ी भाग के लोगों का मुख्य व्यवसाय (75.3 प्रतिशत व्यक्तियों का) कृषि है किन्तु यहां के खेत अत्यन्त बिखरे हैं, सिंचाई साधनों का अभाव है, खेत का आकार अत्यन्त सकरा है तथा जोतों की सीमा प्रति परिवार औसतन 2 एकड़ है। परिणामतः कृषि को आधुनिक स्वरूप प्रदान करना लगभग असम्भव है। मैदानी भाग यद्यपि कृषि के लिए सर्वथा उपयुक्त है, परन्तु यह उस पर्वतीय क्षेत्र का 20.9 प्रतिशत है। इस भाग में नवीन यन्त्रों, उत्तम बीजों, कीटनाशक दवाईयों तथा खाद का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण यहां पर कृषि की उत्पादकता अपेक्षाकृत अधिक है। परन्तु जोतों का आकार यहां भी न्यून है। कृषि योग्य भूमि का लगभग 54 प्रतिशत भाग 5 एकड़ से कम जोत की सीमा में आता है।

वन

पर्वतीय क्षेत्र की प्राकृतिक सम्पदा में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी राष्ट्र के स्थायी विकास हेतु भौगोलिक क्षेत्रफल के 1/3 भाग में वन होने चाहिए तथा वनों का यह भाग पर्वतीय क्षेत्र में 60 प्रतिशत और मैदानी क्षेत्र में 20 प्रतिशत होना चाहिए। सौभाग्यवश इस अंचल में 62 प्रतिशत क्षेत्र में जंगल है। वनों का 81 प्रतिशत पहाड़ी भाग में, 16 प्रतिशत भाबरी भाग में और शेष 3 प्रतिशत तराई भाग में आता है। पर्वतीय क्षेत्र में मुख्यतः चीड़, देवदार, साल, शीशम, पांगर, तुन, धौरी, बांस तथा खैर के वन हैं।

खनिज पदार्थ

भू-गर्भ वैज्ञानिकों का यह मत है कि उ० प्र० का यह पर्वतीय क्षेत्र खनिज सम्पदा से भरा है, किन्तु खोज व सर्वेक्षण की अपर्याप्त

[illegible] के कारण विभिन्न खनिज [illegible] प्रकार से नहीं हो सके हैं। अभी तक किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार उ॰प्र॰ के खनिज भण्डारों का अधिकांश भाग पर्वतीय क्षेत्र के इन आठ जिलों में पाया जाता है। यहां के विभिन्न खनिजों का विवरण निम्नवत् है:—

चूना पत्थर	—देहरादून, चकरौता, लैन्सडाऊन, हल्द्वानी
मैग्नेसाइट पत्थर	—अलमोड़ा, अलकनन्दा की घाटी, पिथौरागढ़
डोलोमाइट	—टिहरी गढ़वाल, देहरादून,
तांबा	—चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल असकोट
जिप्सम	—देहरादून, टिहरी गढ़वाल
संगमरमर	—अल्मोड़ा, देहरादून

पशुधन

पर्वतीय क्षेत्र में पशुपालन हेतु पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां हरा चारा कम लागत पर और सुविधापूर्वक मिल जाता है। इस क्षेत्र के मैदानी भाग को छोड़कर शेष पहाड़ी भाग में वर्षभर तापमान कम रहता है, जिससे दूध एवं अण्डों का शीघ्र खराब होने का भय नहीं रहता। किन्तु पहाड़ी भाग का इस सम्बन्ध में अपना दुर्भाग्य यह है कि यहां जानवरों की नस्ल सुधर नहीं पाई है। साथ ही यहां की ग्रामीण जनता पशुओं को घास के अतिरिक्त पौष्टिक चारा एवं दाना खिलाने में, धनाभाव के कारण, असमर्थ रहती है।

इस क्षेत्र की प्राकृतिक सम्पदा में यहां के उद्यान एवं बागवानी व्यवसाय को भी नहीं भुलाया जा सकता है। यहां के उद्यानों से प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में सेब, खुमानी, नाशपाती, आड़ू, आम, अमरूद, अखरोट, केला, पपीता तथा आलू व अन्य सब्जियां उपलब्ध होती हैं।

प्राकृतिक संसाधनों के अलावा आर्थिक विकास की द्वितीय आवश्यकता आधारभूत संरचना के संदर्भ में उ० प्र० का पर्वतीय अंचल अब भी बहुत पीछे है। प्रति व्यक्ति न्यून आय होने के कारण पूंजी का अभाव है। जितनी पूंजी उपलब्ध है वह भी संकोचनशील है। यातायात एवं संवादवाहन के साधन भी यहां अविकसित अवस्था में हैं तथा बैंकिंग सुविधाएं इस क्षेत्र में आवश्यकता को देखते हुए अपर्याप्त हैं। प्रशिक्षण सुविधाओं के अभाव के कारण यहां की विपुल जनशक्ति अधिक कुशल नहीं है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय अंचल की अर्थव्यवस्था का अवलोकन करने से हम पाते हैं कि यद्यपि यहां की अधिकांश जनसंख्या कृषि व्यवसाय में लगी है लेकिन यहां पर अधिकांश जोतों का आकार अनार्थिक है तथा भूमि की उपजाऊ शक्ति भी अपेक्षाकृत कम है। इस कारण पर्वतीय क्षेत्र में कृषि यन्त्रीकरण भी असम्भव है। अतः भावी आर्थिक विकास हेतु कृषि क्षेत्र से बहुत अधिक आशा नहीं की जा सकती।

उपर्युक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष आसानी से निकाला जा सकता है कि यदि पर्वतीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को एक विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था का स्वरूप प्रदान करना है तो औद्योगीकरण को बढ़ावा देना ही एकमात्र विकल्प होगा। औद्योगीकरण के सम्बन्ध में जहां तक बड़े उद्योगों की स्थापना का प्रश्न है इनके लिए विशाल पूंजी, अत्यधिक विकसित यातायात व संचार साधनों, बड़ी मात्रा में कोयला व विद्युत की उपलब्धता, विस्तृत बाजार, जोखिम उठाने वाले व्यक्तियों तथा बड़ी संख्या में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। किन्तु इन साधनों का यहां पर लगभग अभाव है। पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक बनावट तथा परिस्थितियों के अनुकूल यहां पर ग्रामीण उद्योग आसानी से स्थापित एवं विकसित किए जा सकते हैं। पर उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के उद्योग कृषकों को आय का पूरक स्रोत उपलब्ध कराने में भी सहायक होंगे।

सम्भावनाएं

पर्वतीय क्षेत्र में ग्रामीण उद्योग के विकास की सम्भावनाओं का यहां उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि यहां के कृषि उत्पाद अनेक ग्रामीण उद्योगों जैसे—अनाज एवं दाल प्रशोधन, गुड़ एवं खाण्डसारी, ग्रामीण तेल घानी, रेशा उद्योग के विकास के लिए कच्चे माल के स्रोत बन सकते हैं। इस क्षेत्र में उपलब्ध वनोपज के आधार पर जड़ी बूटी उद्योग, कागज उद्योग तथा फर्नीचर एवं खेलकूद, गोंद, लाख, कत्था उत्पादन, बांस तथा बेंत का कार्य तथा दियासलाई उद्योग आदि से सम्बन्धित उद्यम स्थापित किए जा सकते हैं। इसके साथ-साथ यहां की खनिज सम्पदा ग्रामीण कुम्हारी, लोहार तथा बढ़ईगिरी, कुटीर, चूना, लिखने की चाक, स्लेटें, आदि के निर्माण हेतु आधार बन सकती हैं तथा यहां के उद्यान एवं बागवानी फल संरक्षण तथा उपयोजन क्रिया के विकास में सहायक हो सकते हैं।

प्रश्न यह उठता है कि पर्वतीय क्षेत्र में ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों की विद्यमानता के बावजूद भी इन उद्योगों का अभी तक समुचित विकास क्यों नहीं हो पाया है? वस्तुतः इसके लिए आर्थिक विकास की दूसरी आवश्यकता आधारभूत संरचना की अपर्याप्तता मुख्यरूप से उत्तरदायी है। पर्वतीय क्षेत्र में ग्रामीण उद्योगों के विकास की प्रमुख समस्याएं जो मुख्यतः आधारभूत सरंचना से सम्बन्धित हैं, निम्नवत् हैं। इनके समाधान हेतु उपयुक्त सुझाव भी साथ में दिए जा रहे हैं।

समस्याएं एवं सुझाव

वित्त की कमी पर्वतीय क्षेत्र में ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए अब सबसे प्रमुख बाधा है। उल्लेखनीय है कि यहां के लोगों की आय बहुत कम होने के कारण बचत व पूंजी निर्माण की दर बहुत कम है। दूसरा दुःखद पहलू यह है कि यहां उपलब्ध पूंजी संकोचनशील प्रकृति की है। इस कमी को दूर कर खादी उद्योग को यहां के विकास का आधार बनाने के लिए आवश्यक है कि इस क्षेत्र में सहकारिता की

भावना का विकास किया जाए क्योंकि कमजोर और अल्प साधन वाले व्यक्ति भी पारस्परिक सहयोग द्वारा आत्म सहायता की भावना से अपने आर्थिक एवं सामाजिक हितों के लिए इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं । साथ ही खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, वित्तीय संस्थाओं एवं सरकार की ओर से इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना एवं विकास हेतु समुचित वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए ।

उद्यमशीलता का अभाव पर्वतीय क्षेत्र में इन उद्योगों के विकास के लिए दूसरी बाधा है, जिसे दूर करने हेतु यहां पर ग्रामीण उद्योगों की स्थापना से सम्बन्धित विभिन्न विचार-गोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए तथा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्योगों की स्थापना हेतु सम्भावित उद्यमियों का उचित मार्गदर्शन किया जाना चाहिए ।

ग्रामीण उद्योगों से सम्बन्धित प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था न होना इन उद्योगों के विकास की तीसरी बाधा है । जिसे दूर करने के लिए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को विभिन्न ग्रामीण योजनाओं से सम्बन्धित प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करने का दायित्व उठाना चाहिए ।

भौगोलिक कारणों से सड़क यातायात ही इस क्षेत्र में कच्चे माल व निर्मित माल को लाने ले जाने का एक मात्र साधन है । किन्तु दुर्भाग्यवश इस क्षेत्र में अभी तक सड़क यातायात सुविधा आवश्यकता को देखते हुए बहुत ही अपर्याप्त है । साथ ही यहां पर यातायात लागतें भी काफी अधिक हैं । पर्वतीय क्षेत्र के विकास की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा इस क्षेत्र को सड़क यातायात के विकास हेतु उचित प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा सड़क यातायात की ऊंची लागतों से उद्यमियों को राहत देने हेतु विशेष सड़क अनुदान की व्यवस्था करनी चाहिए ।

ग्रामीण उद्योगों के विकास की एक अन्य समस्या विपणन से सम्बन्धित है । इस समस्या के परिणामस्वरुप ही उन्हें निर्मित माल का उचित मूल्य नही मिल पाता, अधिकांश बिक्री उधार पर करनी पड़ती है । पर्याप्त मात्रा में निर्मित माल का भण्डारण नहीं किया जा सकता है तथा उत्पादन के लिए पर्याप्त बाजार उपलब्ध नहीं हो पाता । इन समस्याओं के समाधान हेतु उद्यमी विपणन कार्य के लिए सहकारी समितियों का गठन करें, वित्तीय संस्थाएं उद्यमियों को आसान शर्तों पर बिलों की पुनर्कटौती की सुविधा प्राप्त करें । सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों पर भण्डारगृहों की स्थापना की जाए तथा निर्मित माल को बढ़ाने हेतु उद्यमी संयुक्तरूप से विज्ञापन, प्रदर्शनियों द्वारा वस्तुओं का प्रचार करें । इसके साथ-साथ इन उद्योगों के उत्पाद के बाजार को बढ़ाने के लिए प्रमाणीकरण की समुचित सुविधा प्रदान की जाए ।

निष्कर्ष :

पर्वतीय क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक सम्पदा का समुचित विदोहन कर इस क्षेत्र को विकास की धारा से जोड़ने के लिए अति आवश्यक है कि यहां पर ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाएं । इन प्रयासों में मुख्य रूप से वित्त की समुचित व्यवस्था, उद्यमशीलता का विकास, प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था, यातायात एवं संचार-साधनों का विकास एवं विपणन की समुचित व्यवस्था आदि को सम्मिलित किया जाना चाहिए । □

वाणिज्य विभाग, डी० एस० बी० संघटक महाविद्यालय, कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल 263002 (उत्तर प्रदेश)

केरल-शोभा

राजेन्द्र शर्मा

हरा यहां परिधान धरा का
हरा नील आकाश ।
केला और नारियल देते—
सुख स्वागत वातास ।
धान-खेत में तेज़ हवा से
उठता जैसे ज्वार ।
यहां प्रकृति का मुक्त हृदय है !
बिना सांकल का द्वार !

है अनन्त हरियाली जैसे
भूली दिशा दिशाएं ।
पगडंडी, पथ सर्पीले सब—
पग-पग पलक बिछाएं !
सुषमा का विस्तार जहां तक
सूर्य-चन्द्र की गति है ।
लोचन थकित, मुदित मन लेकिन—
चकित-चकित-सी मति है !

पग-पग पर पोखर लघु सरिता
बहता जीवन नीर
ताड़ वृक्ष की नौकाओं पर
मल्लाह —लघुतम चीर !
शिला-श्रृङ्खलाएं उन्नत कर
मस्तक नभ छती हैं ।
शीतल बहती मन्द हवाएं
यहां स्वर्ग दूती हैं ।
केला-नारियल गर्वोन्नत—
धरा फुलाती छाती ।
केरल का श्रृङ्गार सत्य ही
भारत मां की थाती !

1625 द्वारका पुरी
दिल्ली-110032

असहायों का सम्बल

तनवंत सिंह कौर

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के हृदय में देश के निर्धन कमजोर व पिछड़े वर्ग, खासतौर पर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए कितनी चिन्ता है यह उनके बीस सूत्री कार्यक्रम में साफ तौर से झलकती है। 1975 से क्रियान्वित किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम और 14 जनवरी, 1982 को घोषित नए बीस सूत्री कार्यक्रम के अधिकांश सूत्र परोक्ष अथवा अरोक्ष रूप से इन कमजोर वर्गों और देहाती इलाकों की तरक्की से संबंधित हैं। नए बीस सूत्री कार्यक्रम में सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराने, खेती के सुधरे तरीके सिखाने, गांवों में रोजगार दिलाने या स्वरोजगार हेतु जरूरी प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता देने, खेतिहर मजदूरों की मजदूरी में इजाफा करने, बन्धुआ मजदूरों को मुक्त कराकर उनका पुनर्वास करने, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को शिक्षा के विकास और उन्नति के बेहतर उपाय करने, हर गांव में पीने के पानी का प्रबन्ध करने, मकान के लिए जमीन और आर्थिक सहायता देने, गंदी बस्तियों का सुधार करने, देहातों में बच्चों, महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने, उचित मूल्य पर वनोपयोगी वस्तुएं सुलभ कराने आदि विभिन्न कार्य मध्य प्रदेश में युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। । यह संतोष का विषय है कि एक ओर जहां शासन के सभी विभाग इस कार्यक्रम को मुस्तैदी से क्रियान्वित कर रहे हैं वहां विभिन्न स्तरों पर गठित जनप्रतिनिधियों की समितियां कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा कर उसके क्रियान्वयन में मदद कर रही हैं और इस बात की सतत् निगरानी रख रही हैं कि कार्यक्रम क्रियान्वयन से उत्पन्न लाभ और सुविधाएं इन निर्धन और कमजोर वर्गों को ही मिलें और बीच में अवांछित तत्व उन्हें न हथियालें। इन जन-समितियों में सभी स्तरों पर कार्यक्रम क्रियान्वयन के संबंध में सूत्रवार जिम्मेवारी सौंपी गई है।

आर्थिक उत्थान का अभियान

बीस सूत्री कार्यक्रम में समग्र ग्रामीण विकास एवं राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम को मजबूत और अधिक व्यापक बनाने का दिशा-निर्देश दिया गया है। मध्य प्रदेश में इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सभी 459 विकास खंडों अर्थात् सम्पूर्ण प्रदेश में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की आर्थिक उन्नति के

लिए कार्य किया जा रहा है । इस श्रेणी में लघु किसान, सीमान्त किसान, भूमिहीन मजदूर, ग्रामीण कारीगर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग आते हैं । कार्यक्रम में प्रतिवर्ष प्रत्येक विकास खंड में 600 व्यक्तियों को आवश्यक साख-सुविधाएं मुहैया कराने का का लक्ष्य है । इस प्रकार प्रति वर्ष पूरे प्रदेश में 2.754 लाख गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कारगर उपाय किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में सहायता अनुदान के लिए हर साल 8 लाख रुपये हरेक विकास खण्ड को देने का प्रावधान किया गया है ।

चालू वित्तीय वर्ष में 2.75 लाख हितग्राहियों को अनुदान और बैंकों के कर्ज मिलाकर कुल 117.67 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी । गत नवम्बर तक 1.22 लाख हितग्राहियों को 47.89 करोड़ रु० की सहायता दी जा चुकी है। छठी योजना में इस कार्यक्रम के तहत लगभग 14 लाख लोगों को 106 करोड़ रुपये के अनुदान और 214 करोड़ रुपये के कर्ज दिये जायेंगे।

एकीकृत कार्यक्रम के अधीन युवजनों के स्वरोजगार योजना में प्रत्येक विकास खण्ड में 40 युवजनों को प्रशिक्षित किया जाता है । 1980-81 और 1981-82 में 29761 युवकों को प्रशिक्षित किया गया। इनमें से 10,123 ने स्वरोजगार स्थापित किया। 1982-83 में 14,985 युवक प्रशिक्षित हुए और 6767 ने स्वरोजगार स्थापित किया । एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हितग्राहियों में आधे हरिजन आदिवासी हैं।

भूमिहीनों को भूमि

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, भूमिहीन ग्रामीणों की भलाई का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम है । 1982-83 में इसके तहत सितम्बर में 74.90 लाख मानवदिनों का रोजगार दिया गया है । हदबंदी कार्यक्रम के अन्तर्गत जो अतिशेष भूमि प्राप्त हो रही है वह भी भूमिहीनों को दी जा रही है । साथ ही उस भूमि का उपयोग वे असहाय कर सकें इसलिए उन्हें केन्द्रीय योजना के जरिए 1,000 रुपये की सहायता भी दी जा रही है । 1982-83 में इसके लिए 30 लाख रुपये का प्रावधान है । अक्तूबर, 1982 तक कब्जे में ली गयी 2,12,404 एकड़ अतिशेष भूमि 44,348 भूमिहीनों में बांटी जा चुकी है ।

प्रदेश में 1,858 बन्धुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया है । इनमें से 193 केन्द्र की योजना में बसा दिए गए हैं । और 1395 अन्य योजनाओं के तहत बस गए हैं या उन्हें लाभप्रद रोजगार मिल गया है । शेष 270 मजदूर 1982-83 में बसा दिए जाएंगे । ग्रामीण मजदूरों की मजदूरी में एक जनवरी, 1982 से बढ़ौतरी कर 5 रुपये से 7 रुपये और 1 जुलाई, से 20 पैसे के विशेष भत्ते की वृद्धि कर 7.21 रुपये कर दी गई है ; ।

शिक्षा का प्रसार

आर्थिक विकास के साथ शिक्षा का प्रसार जरूरी है क्योंकि तभी निर्धन और कमजोर वर्ग के लोग न केवल तरक्की कर पाएंगे वरन् विकास अभियान की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे ।

प्रदेश में हरिजन आदिवासियों की जनसंख्या लगभग एक तिहाई है और निःसंदेह उनके विकास के बिना प्रदेश का विकास संभव नहीं है । अतः उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। हरिजन आदिवासी इलाकों में इस समय 13,997 प्राथमिक, 2,516 माध्यमिक, 383 उच्चतर माध्यमिक, 6 आदर्श विद्यालय और 3 कन्या शिक्षा परिसर संचालित हैं । 1.73 लाख आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है। 1700 छात्रावासों और आश्रमों में 44,800 छात्रों के आवास की व्यवस्था है । प्रौढ़ शिक्षा में 6.39 लाख प्रौढ़ों को 1982-83 में शिक्षित किया जाएगा ।

स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

प्रदेश के दूर-दराज गांवों तक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है । इसके अधीन नए स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा रहे हैं। और प्रशिक्षित दाईयों और ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शकों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं । अप्रैल 1982 तक 22 उन्नत प्राथमिक और 5,489 प्राथमिक और लघु स्वास्थ्य केन्द्र, 365 सिविल डिस्पेंसरी, 1909 आयुर्वेदिक तथा 101 यूनानी और होम्योपैथिक औषधालय कार्यरत थे। 1982-83 में 4 उन्नत प्राथमिक, 10 प्राथमिक और 200 उप-स्वास्थ्य केन्द्र तथा 30 सबसीडियरी स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे। अब तक 4 उन्नत प्राथमिक और 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा चुके हैं।

प्रदेश में अंधत्व, क्षय, और कुष्ठ रोग के उपचार और रोकथाम के लिए योजनाबद्ध रूप से काम किया जा रहा है । एक व्यापक सर्वेक्षण में 35 लाख बच्चों की आंखों की जांच की जा चुकी है । 15 से 18 प्रतिशत बच्चों की आंखों में खराबी पाई गई है।

बच्चों और महिलाओं का कल्याण

बच्चों और महिलाओं की भलाई के लिए खासकर आदिवासी और पहाड़ी इलाकों में विशेष पोषण आहार और एकीकृत बाल विकास योजना चलाई जा रही है । 1982-83 में मध्याह्न भोजन योजना में 7.50 लाख बच्चों और पौष्टिक आहार योजना में 6.45 लाख बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को आहार उपलब्ध कराया जा रहा है । 25 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत 87300 आदिवासी बालकों और माताओं को लाभ मिल रहा है । इन 25 परियोजनाओं में से 8 परियोजनाएं 1982-83 में प्रारम्भ की गई हैं ।

गांवों में पेयजल की व्यवस्था

प्रदेश में कुल 70,883 आबाद गांवों में से मार्च 1982 तक 50075 गांव पेयजल की दृष्टि से समस्या मूलक घोषित किए गए हैं। छठी योजना के पूर्व तक कुल 19,848 गांवों में पेयजल की व्यवस्था की जा चुकी है । छठी योजना के प्रथम वर्ष में और 12,757 गांवों में पेयजल की व्यवस्था कर दी गई है। 1982-83 में 4000 गांवों में पेयजल

को [illegible] कर दी गई है । लक्ष्य 5,500 गांवों का है । छठी योजना में समस्त समस्यामूलक गांवों में पूर्ति कर दी जाएगी ।

आवास समस्या का हल

प्रदेश में 1972 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 9.13 लाख परिवार बेघर-बार थे । छठी योजना के पूर्व मार्च, 1980 तक 7.62 लाख परिवारों को निःशुल्क आवासीय भूखण्ड दिए गए थे और शेष को योजनावधि में दे दिए जाएंगे । प्रथम दो वर्ष में 48,666 भूखण्ड बांटे गए । 1982–83 में 15,400 भूखण्ड बांटे । इन भूखण्डों पर मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा 1980–81 तक 500 रुपये और सामग्री दी गई । 1981–82 से 500 रुपये की जगह 1500 और 500 रुपये की सामग्री की सहायता कर दी गई है ।

गृह निर्माण मण्डल द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर बर्गों के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सहायता और अपने साधनों से मकान बनाए जा रहे हैं । 1982–83 में 3500 मकानों का लक्ष्य है । नवम्बर तक 2009 मकान बनाए जा चुके हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में आवास समस्या से निपटने के लिए ग्रामीण आवास मण्डल गठित कर दिया गया है ।

गन्दी बस्तियों के सुधार की दिशा में गंदी बस्ती सुधार मण्डल काफी तेजी से कार्य कर रहा है । 1982–83 में मंडल को आवंटित 152.42 लाख रुपये की राशि में से 112 लाख रुपये दिसम्बर तक विभिन्न संस्थाओं को वितरित कर दिए गए हैं । रिहायशी मकानों की कीमतों को बढ़ाने से रोकने के लिए शहरों में 50000 भूखण्ड कमजोर और अन्य आय वर्ग के लोगों के लिए निकाले जाने का निर्णय किया गया है । लगभग 11,000 भूखण्ड इन्दौर, रतलाम, भोपाल, और जबलपुर में दिए जा चुके हैं या दिए जा रहे हैं । गन्दी बस्ती सुधार मण्डल गंदी बस्तियों की शासकीय भूमि को निःशुल्क प्राप्त कर एक रुपया विकास शुल्क लेकर 360 वर्गफुट के भूखण्ड कमजोर वर्ग के लोगों को देने की योजना कार्यान्वित कर रहा है । इन्दौर व भोपाल में ऐसे 3,130 भूखण्ड वितरित भी किए जा चुके हैं ।

विद्युत का प्रकाश

गांवों में सिंचाई पम्पों के विद्युतीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है । ताकि आवश्यक सुविधाओं का लाभ ग्रामवासियों को मिल सके । नवम्बर, 1982 तक 30,915 अर्थात् 43.61 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और 4,60,261 पम्पों के लिए बिजली की लाइनें डाल दी गई हैं । इनमें हरिजन बाहुल्य क्षेत्रों के 1,242 गांव और 12,590 पम्प और 7,781 बस्तियां शामिल हैं ।

इस प्रकार प्रदेश में हरिजन आदिवासी और अन्य कमजोर व पिछड़े वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम में योजनाबद्ध रूप से कार्य किया जा रहा है । कार्यक्रम की प्रगति पर सतत् निगरानी रखी जा रही है । विभिन्न स्तरों पर गठित जनसमितियों द्वारा प्रगति की समीक्षा की जाती है और कार्यक्रम के क्रियान्वयन में समितियों के माध्यम से उपयोगी सुझाव मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है । ☐

झूम खेती से मुक्ति

सभी पूर्वोत्तर राज्यों में "झूम" खेती एक आम समस्या है । इस प्रकार की खेती से भू-रक्षण और नुकसान ही होता है ।

पूर्वोत्तर परिषद् अपनी स्थापना के बाद से ही आदिवासियों को खेती की पुरानी पद्धति से छुटकारा दिलाने का प्रयास करती रही है । पांचवीं योजना के दौरान झूम खेती करने वाले 5295 परिवारों को 11,300 हैक्टेयर क्षेत्र में बसाया गया । यह कार्य आठ प्रायोगिक योजनाओं के अन्तर्गत किया गया ।

इन परियोजनाओं से स्पष्ट है कि आदिवासी परिवार स्वेच्छा से सिंचाई वाली और सीढ़ीदार भूमि में धान की खेती करने को तत्पर हैं । एक हैक्टेयर भूमि के विकास कार्य पर 5000 रुपये की लागत आती है । प्रत्येक आदिवासी परिवार को दो हैक्टेयर भूमि दी गई है । छठी योजना में झूम खेती करने वाले परिवारों को बसाने के लिए 13 जल प्रपात प्रबन्ध योजनाएं शामिल की जाएंगी ।

झूम खेती पद्धति समाप्त करने से कृषि में स्थायित्व आया और आदिवासियों को बसाया जा सका । बीज फार्म, जल प्रपात व्यवस्था और अन्य योजनाओं से आदिवासियों को प्रतिवर्ष एक से अधिक फसल उगाने और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली ।

इस योजना के कार्यान्वियन से एक अन्य उपलब्धि यह हुई कि इस क्षेत्र की कृषि पर्यावरण परिस्थितियों ने पहाड़ी ढलानों को उद्यानों और बागानों के लिए बहुत अनुकूल बना दिया । अब इन घाटियों में अधिक उपज वाली किस्मों और बहु-फसलें उगाई जाने लगी हैं एवं सिंचाई की व्यवस्था हो गई है । वहां पर काफी मात्रा में धान की पैदावार होने लगी है तथा ढलानों का बेहतर उपयोग होने लगा है । अतः इससे पूर्वोत्तर परिषद् की जल प्रपात व्यवस्था को बढ़ावा मिला जो कि छठी योजना के कृषि कार्यक्रमों की आधारभूत नीति है ।

पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती करने, भूमि सुधार करने और काफी, काली मिर्च, काजू जैसी नकदी फसलों को बढ़ाने के उद्देश्य से भू-संरक्षण संगठन ने भूमि विकास कार्यक्रम को जोर-शोर से आगे बढ़ाने में सफल प्रयास किए हैं । ☐

समन्वित

ग्रामीण विकास कार्यक्रम

एक रिपोर्ट

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	बंटित नकद निधियां (लाख रुपये)	बंटित खाद्यान्न (मीटरी टन)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	274.76	—
2.	बिहार	1298.54	—
3.	गुजरात	62.00	—
4.	हरियाणा	80.00	—
5.	हिमाचल प्रदेश	59.43	—
6.	जम्मू व कश्मीर	72.00	—
7.	कर्नाटक	465.80	—
8.	केरल	44.50	—
9.	मध्य प्रदेश	134.08	—
10.	महाराष्ट्र	361.28	—
11.	मणिपुर	7.18	—
12.	उड़ीसा	114.52	—
13.	पंजाब	11.65	—
14.	तमिलनाडु	735.46	7320
15.	उत्तर प्रदेश	1458.30	20000
16.	पश्चिम बंगाल	357.58	8170
17.	दिल्ली	3.68	20
18.	मिजोरम	10.30	—
	योग :	5551.06	35510

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को फरवरी-मार्च 1983 के दौरान सहायक अनुदान के केन्द्रीय अंश के रूप में 1725.15 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है। अभी तक कार्यक्रम के अंतर्गत 1982–83 के दौरान 11061.15 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है।

31 जनवरी, 1983 तक संकलित की गई सूचना के अनुसार, 18.34 लाख लाभभोगियों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लिया गया है जिनमें से 7.43 लाख लाभभोगी जो कुल लाभभोगियों का 40.5 प्रतिशत बनता है, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखते हैं। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा राज्यों के अंश सहित 19008.25 लाख रुपये की धन राशि उपयोग में लाई गई है। 38054.68 लाख रुपये का आवधिक ऋण वितरित किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

समीक्षाधीन अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को 5551.06 लाख रुपये की धनराशि तथा 35510 मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा बंटित की गई है जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

इस प्रकार अभी तक चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों के मूल्य सहित 18557.15 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है।

राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को अनुदेश भी जारी किए गए हैं कि पर्याप्त रोजगार के अवसर सुलभ करने के उद्देश्य से गंभीर सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए।

ट्राइसेम के अन्तर्गत प्रशिक्षण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाना

समीक्षाधीन माह के दौरान ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना (ट्राइसेम के अंतर्गत आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को 5.62 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है। 1982–83 के दौरान राज्य सरकारों को अभी तक 49.70 लाख रुपये बंटित किए गए हैं।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, गोष्ठियों तथा कार्यशालाओं का आयोजन

समीक्षाधीन माह के दौरान गोष्ठियां, प्रशिक्षण पायठ्क्रम तथा कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों

तथा संस्थाओं को 1.25 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है। 1982–83 के दौरान अभी तक 3.25 लाख रुपये बंटित किए गए हैं।

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम/मरुभूमि विकास कार्यक्रम

समीक्षाधीन माह के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत आन्ध्रप्रदेश सरकार को 132.23 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है। अभी तक 1982–83 में विभिन्न राज्य सरकारों को 1512.56 लाख रुपये की धन राशि बंटित की गई है। समीक्षाधीन माह के दौरान मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार को 7.01 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है। 1982–83 में विभिन्न राज्य सरकारों को अभी तक 402.95 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है।

कृषि विपणन

समीक्षाधीन माह के दौरान राज्य सरकारों को ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए केन्द्रीय उपदान के रूप में 5.31 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है। 1982–83 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत अभी तक 13.36 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है।

समीक्षाधीन माह के दौरान राज्य सरकारों को बाजारों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 28.50 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है। 1982–83 के दौरान अभी तक 65.80 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है।

विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय बाजार आयोजनों तथा अभिकल्प केन्द्र ने नेफेड के सहयोग से जनवरी, 1983 में नई दिल्ली में भारतीय सेब उद्योग के बारे में एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की थी। इसमें क्वालिटी के मानकीकरण के बारे में सेब व्यापार विकास परियोजना की मुख्य विशेषताओं पर विचार-विमर्श किया गया था।

जन सहयोग

ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक कार्यवाही को बढ़ावा देने की योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रथम तथा द्वितीय किस्तों के रूप में राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों को 20.19 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है। □

कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अधिक सुविधाएं

संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण का अंश

"14 जनवरी, 1982 को घोषित संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम के, जिसमें निर्धन और कमजोर वर्ग के लोगों की भलाई पर बल दिया गया है, उत्साहजनक नतीजे निकले हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन इस वर्ष 33 करोड़ से अधिक अतिरिक्त श्रम दिवसों का देहाती रोजगार पैदा किया जाएगा। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के कार्यकलापों में भी महत्वपूर्ण वद्धि हुई है और सक्रिय रूप से इस बात के प्रयत्न किए जा रहे हैं कि इनका सम्बन्ध ग्रामीण रोजगार के लिए की जा रही सभी कोशिशों के साथ जोड़ दिया जाए। पीने के पानी की सुविधा ऐसे और 24,000 गांवों में पहुंचाई गई जहां पीने के पानी की समस्या थी। 5 लाख 40 हजार मकान बनाने के लिए जगह दी गई है। आवास और शहरी विकास निगम 2 लाख 25 हजार घर बनाने के लिए सहायता देगा। इस वर्ष 23.5 लाख हैक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा जटाई जा रही है।

जिन लोगों ने हमें आजादी दिलाई है, राष्ट्र उनका कृतज्ञ है। उनके प्रति आभार के प्रतीक के रूप में सरकार ने स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना का विस्तार किया है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह प्रयत्नशील है और इसके लिए उसने त्रिमुखी नीति तैयार की है। इसमें राज्यों की विशेष कम्पोनेन्ट योजनाओं, और अनुसूचित जाति विकास निगमों के अलावा राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मन्त्रालयों की विशेष कम्पोनेन्ट योजनाएं, और विशेष केन्द्रीय सहायता भी शामिल है। जनजातीय उप योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता को वर्ष 1982-83 में 85 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 95 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

हमारे समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और पिछड़ी श्रेणियों के लोगों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति की दिशा में किए जा रहे कार्य को सरकार के विकास कार्यक्रमों में प्राथमिकता दी जाती रहेगी। केन्द्र द्वारा प्रायोजित मछियारों की एक बीमा योजना भी शुरू की गई है।

परिवार नियोजन कार्यक्रमों में लोगों के भाग लेने और उसके आम समर्थन की एक लहर पैदा हुई। अप्रैल, 1982 से जनवरी, 1983 की अवधि के दौरान परिवार नियोजन के सभी तरीकों को स्वीकार करने वालों की संख्या इससे पहले वर्ष की इसी अवधि की संख्या से 16 प्रतिशत अधिक थी। संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन कुष्ठ रोग, नेत्रहीनता और तपेदिक पर नियंत्रण पाने के कार्यक्रमों को एक नए जोश के साथ लागू किया जा रहा है।"

पौष्टिक आहार के लिए—जलखेती

अनुराग पाठक

एक प्राचीन मिश्री मकबरे से प्राप्त नक्काशी में एक कृत्रिम जलाशय से तिलापिया मछली पकड़ने का दृश्य दिखाया गया है । तिलापिया मछली प्राचीन काल में हजारों वर्षों तक एक महत्वपूर्ण खाद्यस्रोत रही है । लगभग 2,000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु ने अपने भक्त समूह को यही मछली खाद्य के रूप में प्रदान की थी ।

तालाबों में पैदा होने वाली इस मछली का आज विश्व के उष्णकटिबन्धीय क्षेत्रों में खाद्य के रूप में प्रजनन एवं पालन किया जा रहा है । और अफ्रीका एवं मध्य एशिया में तो आमतौर पर यह पाई जाती है। तिलापिया का प्रजनन सरल और सस्ता होता है तथा यह बहुतायत में पैदा होती है । आज संसार की खाद्य की बढ़ती समस्या के समाधान के तौर पर जलखेती की प्राचीन कला की ओर अधिकाधिक ध्यान आकृष्ट हो रहा है और तिलापिया के प्रति वर्तमान रुचि इसी का एक अंग है ।

समुद्र तथा ताजा जल स्रोतों में खाद्य यथा पौधे, पशु एवं मछली—प्राप्त करने की कला को ही जलखेती कहते हैं जिससे विशेष रूप से जरूरतमन्द विकासशील देशों को अच्छे किस्म का प्रोटीन उपलब्ध होता है । जलखेती में लागत खर्च बहुत कम होता है और वह उपभोक्ता के निकट की जा सकती है ।

ऐसा अनुमान है कि सन् 2,000 में एक अरब से भी अधिक आबादी पर्याप्त पौष्टिक पदार्थों के अभाव से ग्रस्त होगी । इस अपेक्षित अभाव की पूर्ति के लिए विश्वसनीय स्थानीय खाद्य उत्पादन की आवश्यकता है । जलखेती इसकी कुंजी है ।

व्यापारिक मत्स्य उद्योग अधिक पर्यावरणगत और राजनीतिक अनिश्चयताओं का शिकार रहा है पर नियंत्रित जलखेती उत्पादन इससे मुक्त है । मत्स्य उद्योग को ईंधन की मंहगाई, जल प्रदूषण और कुछ किस्मों की मछलियों की व्यापक मरणशीलता से भारी क्षति पहुंचती रही है । पर जलखेती पर जलवायु तथा भौगोलिक विषमताओं का इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना अन्य प्रकार के खाद्य उत्पादनों पर पड़ता है । उदाहरण के लिए, आकलनों के अनुसार, जलस्रोत—नदियां, झीलें, तालाब, महासागर सिद्धांत समूचे विश्व की प्रोटीन संबंधी आवश्यकता पूरी करने में सक्षम हैं ।

गत पांच वर्षों में जलखेती का विश्व-उत्पादन 30 लाख टन से बढ़कर 60 लाख टन हो गया है । सन् 1985 तक उत्पादन एक करोड़ टन तक पहुंच सकता है । उत्पादन में बड़ी बढ़ोत्तरी खासतौर पर एशिया, मध्य तथा दक्षिणी अमरीका में हुई है । जहां जलखेती को विकास योजनाओं में उच्च स्थान प्रदान किया है और उसके लिए आवश्यक पूंजी तथा समर्थन सेवाएं सुलभ की गई हैं ।

पनामा की राष्ट्रीय जलखेती निदेशालय के निदेशक रिचर्ड प्रेटो को गत 5 मई, 1981 को लैटिन अमरीका में ताजा जल मत्स्य उद्योगों की स्थापना की दिशा में उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया गया । प्रेटो जलखेती के लिए "ऐड" के साथ दीर्घ काल तक कार्य करते रहे हैं । पांच वर्ष पूर्व शहरी विश्वविद्यालय ने "ऐड" की तकनीकी सहायता में पनामा से मत्स्य उद्योग कार्यक्रम शुरू किया था । इस कार्यक्रम में कई अन्य लोगों के साथ प्रेटो भी संलिप्त थे । तदुपरान्त "ऐड" की सहायता से प्रेटो ने अमरीका में अर्बन विश्वविद्यालय से डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त की । दो वर्ष पूर्व उन्होंने पनामा में पुनः वेरागुआ प्रान्त के अन्दर तिलापिया मछली के प्रजनन के लिए 200 से अधिक जलाशय तैयार करवाए । इन जलाशयों में प्रतिवर्ष औसतन 700 पौण्ड (317 किलोग्राम) मत्स्य उत्पादन होता है जिससे लगभग 7,500 ग्रामीण परिवारों की खाद्य संबंधी आवश्यकता पूरी होती है ।

अमरीका में ट्राउट, सामन, घोंघा आदि नस्लों की मनोरंजन अथवा वाणिज्य के लिए काफी मांग रही है, इसलिए शुरु-शुरु में जोर इन नस्लों की बहुलता कायम रखने के उद्देश्य से इनके लिए अण्डा एवं प्रजनन केन्द्रों की स्थापना में आड़े आने वाली समस्याओं को हल करने पर दिया गया । अब वहां क्लाम, कैट-फिश ताजा पानी वाले झींगों, घोंघों, समुद्री केकड़ों, श्रिम्प, तथा अन्य नस्लों को भी कृषि अनुसंधान के क्षेत्रों में ले लिया गया है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है क्योंकि मूल्यवान झींगों और श्रिम्प की मांग बढ़ती जा रही है । शाह के पतन के फलस्वरूप ईरानी मत्स्य अचार के निर्यात में कमी हो जाने के बाद अमरीकी उद्यमी अब उच्च स्तरीय मत्स्य अचार के घरेलू उत्पादन के लिए अचार के लिए उपयोगी नस्लें, जैसे पैडलफिश के प्रजनन की ओर आकृष्ट हुए हैं ।

यद्यपि कई विकसित राष्टों में तो प्रसार की संभावना है ही, पर विकासशील देशों में खाद्य की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से यह सर्वाधिक लाभकारी है । फिलहाल मत्स्य प्रजनन पर ही अधिक जोर दिया जा रहा है पर जलीय वनस्पति की खेती भी महत्वपूर्ण है । उदाहरणार्थ इन दिनों विटामिन सी, मुर्ग खाद्य, मांस परिरक्षण और खाद्य तथा स्थायीकारकों के रूप में समुद्री घासों का प्रयोग किया जा रहा है । चीन, जापान, भारत, इण्डोनेशिया, ताइवान, फिलीपीन्स, कोरिया, थाईलैंड और बंगला देश, आदि, मत्स्य उद्योग से न केवल अपनी खाद्य

[illegible] आवश्यकता और [illegible] बड़े पैमाने पर पूर्ति करते हैं [illegible] निर्यात भी करते हैं।

पिछले दशाब्द के दौरान जलखेती अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई नवीन उपलब्धियां हुई हैं जिनसे विश्व के कई देशों में परम्परागत तथा प्राचीन विधियों का आधुनिकीकरण एवं सुधार हुआ है। डिजाइन, सामग्री तथा खुराक में सुधार माध्यम से कैटफिश सामान, ट्राउट, पीतपुच्छ तथा दुग्ध पुच्छ नस्लों के प्रजनन में एवं पालन में सफलता प्राप्त हुई है।

एक ही जलाशय में कई भिन्न-भिन्न प्रकार की नस्लों की प्रजनन एक प्राचीन प्रौद्योगिकी है जिसका एशिया, खासतौर-पर चीन और भारत, में अभी तक प्रचलन है। इसे बहुनस्लीय जलखेती (पालीक चर) कहते हैं। इस प्रकार की जलखेती में एक नस्ल का तल में, दूसरी का मध्य-स्तर पर और तीसरी नस्ल का जल-सतह पर प्रजनन किया जाता है। चीन में कार्प मछली का शिकार ईसापूर्व 2,000 में काफी व्यापक था और 7 वीं शताब्दी में पूर्वी यूरोप में भी इसका आम प्रचलन हो चुका था। हाल के वर्षों में जो परीक्षण हुए हैं उनसे वैज्ञानिकों को बहुत थोड़ी खुराक से ही कार्प और तिलापिया की विभिन्न नस्लों के प्रजनन की इन विधियों का महत्व भली-भांति समझ में आ गया है।

वर्ष 1937 में कीनिया और कांगो (अब ज्याइरे) में तिलापिया के प्रजनन के प्रयास किए गए। मध्यवर्ती पूर्वी अफ़्रीका में जलाशयों के अन्दर मत्स्य प्रजनन के प्रारम्भिक परीक्षण 1942 में जाम्बिया में और 1950 में जिम्बाब्वे में किए गए थे। अफ़्रीका में स्थलीय मत्स्य उद्योगों से प्रतिवर्ष कुल मिलाकर 14 लाख टन मछलियां प्राप्त होती हैं।

माली और चाड में मत्स्य दूसरा सबसे प्रमुख निर्यात है।

दक्षिणी एशिया में, जहां समुद्री खाद्य राष्ट्रीय आहार में पहले से ही महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता रहा है, व्यापारिक स्तर पर पूंजी सघन तथा अत्यधिक उत्पादन जलखेती की संभावना विकासशील जगत के किसी भी अन्य क्षेत्र की अपेक्षा अधिक है। फिलिपीन्स, भारत और ताइवान में हाल ही में किए गए वैज्ञानिक परीक्षणों से यह पता चलता है कि जलाशयों के मत्स्य उत्पादन में कम-से-कम दस गुना वृद्धि की जा सकती है।

मछलियों की किस्में ऐसी भी हैं, जिनका पहले कभी प्रजनन उत्पादन नहीं किया गया, पर उनके प्रजनन उत्पादन से काफी कमाई की जा सकती है। ऐसी ही एक किस्म लैटिन अमरिका में मैक्सिको से लेकर पेरू तक पाई जाती है। जिसे स्थानीय भाषा में (चेम) कहते हैं यह मछली पानी के बाहर कई दिनों तक जीवित रह सकती है जिससे ताजा मछलर के परिवहन की समस्या, सहज ही हल हो जाती है। इसमें कुछ हड्डियां भी होती हैं, इसका मांस सफेद व स्वादिष्ट होता है और यह ताजा तथा गन्दे, दोनों तरह के जल में रह सकती है। अभी यह पता लगाना बाकी है कि इसका जलाशयों में प्रजनन एवं पालन संभव है अथवा नहीं।

जलखेती अर्द्ध-मरु क्षेत्रों में भी संभव की जा सकती है जिसका एक उदाहरण ब्राज़ील का अंदरूनी उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। ब्राज़ील सरकार ने इस क्षेत्र में 6,000 ताल एवं जलाशय बनाए हैं। 1966 में फोतलिजा में एक मत्स्य अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया गया। अभी तक जल का सबसे बड़ा जल खेती ताजा अनुसंधान केन्द्र दक्षिण अमरिका में पेन्तेकोस्ट नगर से लगभग 50 मील (80 किलोमीटर) दूर स्थित है। यहां उत्पादन बढ़ाने के इरादे से जलागारों में प्रजनन हेतु नई किस्मों की स्वादिष्ट मछलियां तथा कई तरह की ब्राज़ीली मछलियों के मूल्यांकन पर अनुसंधान चल रहा है। ब्राज़ील में मछली की नस्लों का विशाल भंडार है जिनमें से कई नस्लों का तालाबों या जलागारों में प्रजनन किया जा सकता है। अकेले अमेजन नदी क्षेत्र में ही 1300 से अधिक नस्लें बताई जाती हैं जबकि इसकी तुलना में मिसीसिपी नदी क्षेत्र में केवल 250 नस्लें ही पाई जाती हैं।

[illegible] खाद्य साधन के तौर पर भारी बाधाएं भी आती हैं पर यह समस्याओं से मुक्त नहीं है। विकासशील देशों में, जहां कई दशाब्दी से जलखेती चल रही है, उत्पादन बढ़ाने के लिए किसी तरह का कोई बढ़ावा या प्रलोभन नहीं दिया जा रहा है। अच्छी भूमि और जल का अभाव बढ़ जाने से जलाशय के उत्पादन पर भारी दबाव पड़ रहा है। लेकिन भूमि एवं जल के अभाव से मत्स्य प्रजनन के लिए छोटे-छोटे तालाबों व जलकुंडों के उपयोग की आवश्यकता बढ़ गई है। इसका अर्थ यह है कि सीमित संसाधनों वाले क्षेत्रों में प्रोटीन के उत्पादन में वृद्धि होगी। जलखेती के अधीन मछलियां, पौधों या अन्य जलजीवन के रूप में खाद्य की उपलब्धि जलखेती प्रणालियों की एक मूलभूत आवश्यकता है। विकासशील देशों में जलखेती का प्रसार करने व उसके विकास के लिए सरकारी प्रोत्साहन बहुत जरूरी होगा। प्रभावी मत्स्यों उद्योग प्रबन्ध व्यवस्था और अनुसंधान संगठनों के साथ-साथ यह भी जरूरी होगा कि लोग मछली को खाद्य के रूप में ग्रहण करें।

जलखेती में पूंजी लगाने से किसी भी सरकार की सर्वप्रथम परियोजना स्थल का चयन बड़ी सावधानी से करना होगा। उदाहरण के लिए, जिस क्षेत्र में पशु प्रोटीन का अभाव न हो, वहां जलखेती की जरूरत नहीं होगी। यदि जल आपूर्ति अपर्याप्त हो और बाजार में उत्पादन की द्रुत खपत न हो सके तो भी इस तरह की परियोजना की जरूरत नहीं होगी। भावी खाद्यान्न अभाव की पूर्ति जल-जीवन ही कर सकता है। अतः बढ़ती हुई आबादी और घटती हुई कृषि योग्य भूमि—खासतौर पर एशिया, अफ़्रीका तथा लैटिन अमरिका में जलखेती के विकास के कार्य को असाधारण एवं तात्कालिक महत्व प्रदान करती है। □

अनुराग पाठक
26 डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड
नई दिल्ली

राजस्थान में ऊन-आधारित उद्योगों की विपुल संभावनाएं

पन्ना लाल हर्ष

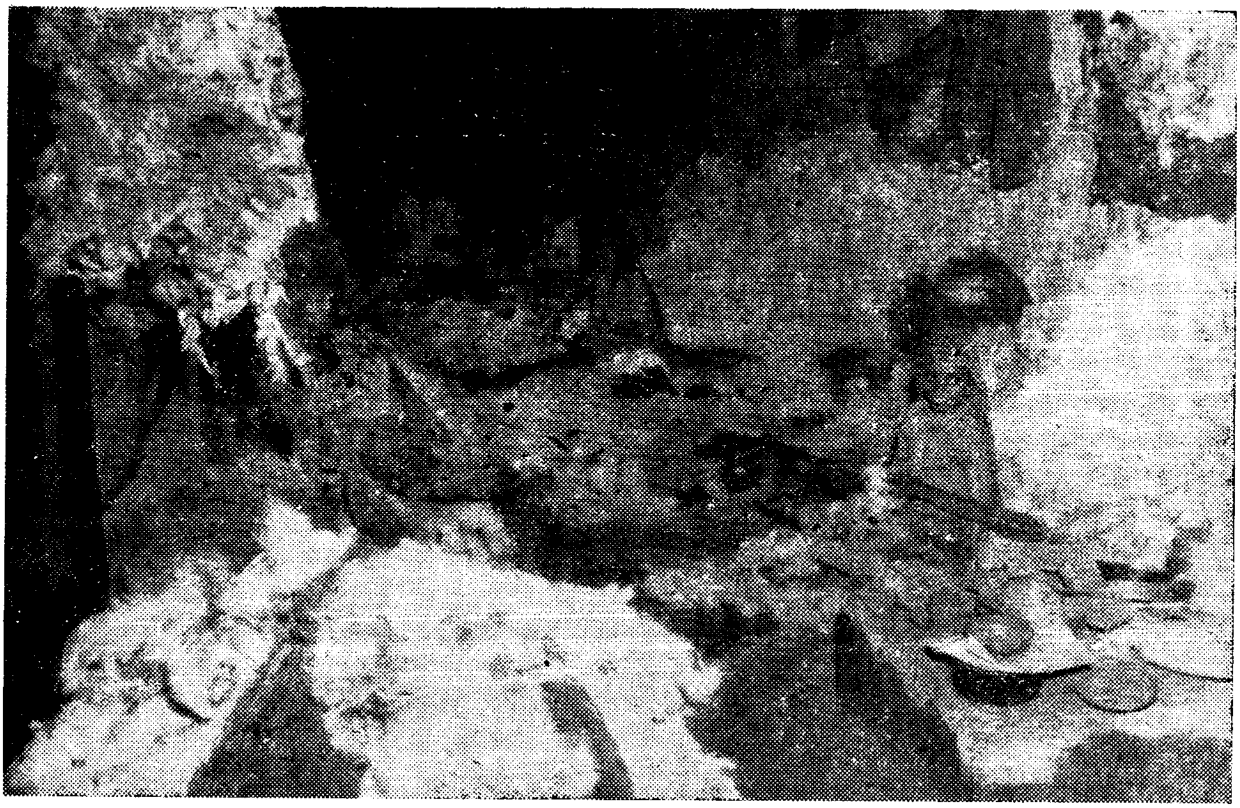

राजस्थान में भेड़ों की 8 प्रमुख नस्लें पाई जाती हैं, जिनसे विविध प्रकार की ऊन उपलब्ध होती है। इस प्रदेश के निवासियों के लिए सूखा एवं रेगिस्तान का शुष्क जीवन एक अभिशाप है, तो यहां का मरु-क्षेत्र भेड़ पालन एवं ऊन-उत्पादन के लिए एक वरदान भी है। वर्षा की अत्यधिक कमी, निरन्तर अकाल व सूखे के कारण कृषि के लिए यह क्षेत्र अपेक्षाकृत कम उपयुक्त है परन्तु पशु-धन की अधिकता के कारण राज्य की अर्थ-व्यवस्था में पशु सम्पदा का विशेष महत्व है। वर्ष 1977 की पशुगणना के अनुसार राज्य में देश के कुल पशुधन का 11 प्रतिशत भाग तथा 21 प्रतिशत से अधिक भेड़ें पाई जाती हैं। देश में उन की कुल पैदावार का लगभग 45 प्रतिशत भाग राजस्थान में पैदा होता है। वर्तमान में समूचे राज्य में लगभग एक करोड़ भेड़ें हैं, जिनसे अनमानतः 148 लाख किलोग्राम ऊन का उत्पादन होता है। लगभग 2 लाख व्यक्ति भेड़पालन में नियोजित हैं। जिनके सहारे करीब 16 लाख व्यक्ति ऊन आधारित उद्योग/व्यवसाय में सलंग्न होकर जीविकोपार्जन कर रहे हैं। विश्व बाजार में ऊन उद्योग द्वारा वर्ष 1979–80 में 139 करोड़ रुपये का माल निर्यात किया गया, जिसमें से 105 करोड़ रुपये का ऊनी गलीचा निर्यात किया गया। कुल निर्यात किए गए गलीचे में से 20 प्रतिशत माल केवल राजस्थान से निर्यात किया गया एवं शेष माल तैयार करने हेतु ऊनी धागा अन्य राज्यों को राज्य के मरु-क्षेत्र में स्थापित ऊनी मिलों द्वारा उपलब्ध कराया गया। इस दृष्टि से राज्य के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की दिशा में भेड़-पालन और ऊन उद्योग का अपना विशेष स्थान है।

राजस्थान का पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी भाग (जो देश के कुल मरुस्थल का 65 प्रतिशत तथा प्रदेश के क्षेत्रफल का 61 प्रतिशत भाग है) भेड़-पालन का प्रमुख केन्द्र है। प्रदेश की 61 प्रतिशत भेड़ें इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र के निवासियों का मुख्य

[illegible] भेड़-पालन रहा है। राज्य में ऊन उत्पादन के लिए जहां भेड़ों की अच्छी नस्लें मिलती हैं, मुख्यतः प्रसिद्ध हैं बीकानेर की नाली, मगरा व पूगल, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जालौर, अजमेर व भीलवाड़ा की मारवाड़ी, जैसलमेर की जैसलमेरी प्रदेश के शेखावाटी क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध जिले चुरु, सीकर व झुंझनू की चौकला जयपुर, टोंक व सवाइमाधोपुर की मालपुरा एवं उदयपुर खण्ड की सोनाडी। इन भेड़ों से श्रेणी की दृष्टि से प्रायः सभी श्रेणियों की ऊन उपलब्ध होती है जो मोटा कपड़ा, कम्बल, गलीचा व नमदा बनाने के काम आती है, कुछ बढ़िया किस्म का कपड़ा बनाने की बारीक ऊन भी होती है।

चौकला और जैसलमेरी की ऊन उत्तम होती है, जो कपड़ा, कम्बल व लोई बनाने एवं मगरा, नाली, पूगल व मारवाड़ी भेड़ों की मध्यम ऊन कम्बल गलीचा बनाने तथा मालपुरा व सोनाडी की मोटी ऊन नमदा बनाने के काम आती है। कुल उत्पादन ऊन का 60 प्रतिशत भाग मध्यम श्रेणी 32 प्रतिशत मोटी व 8 प्रतिशत भाग उत्तम बारीक श्रेणी का होता है। अतः 8 प्रतिशत भाग वस्त्र बनाने व शेष गलीचा एवं कम्बल बनाने में काम आता है।

यहां ऊन उद्योग के क्षेत्र में खादी व ग्रामोद्योग संस्थाओं द्वारा कम्बल व मोटा कपड़ा बनाया जाता है, जिनके बिक्री का क्षेत्र बंगाल व तमिलनाडु प्रान्त तक विस्तृत है। जयपुर व उदयपुर में नमदा बनाया जाता है। राज्य में सर्वाधिक मात्रा में गलीचे बनाने का ऊन उपलब्ध होने के कारण जयपुर-अजमेर व उदयपुर संभाग के भीलवाड़ा जिले में स्थापित 13 ऊनी धागा मिलों के अतिरिक्त राज्य के मरु भाग में मार्च 1982 तक ऊनी धागा कातने की 44 मिलें स्थापित हो चुकी हैं। इस तैयार माल से बड़े पैमाने में देश में विभिन्न रंग, आकार व डिजाइन के गलीचे बनाए जाते हैं, जो विश्व प्रसिद्ध हैं। ये राज्य में जयपुर व टोंक में विशेष रूप से बनाए जाते हैं जो परशियन प्रकार के होते हैं। इन मिलों में तैयार ऊनी धागा सर्वाधिक मात्रा में, क्षेत्र में गलीचा बुनकरों का अभाव होने के कारण भदोई (बनारस) भेज दिया जाता है, जो देश के गलीचा निर्माण निर्यात का 80 प्रतिशत भागीदार है। राज्य के जेल विभाग में निर्मित कालीन व गलीचे स्वतन्त्रता से पूर्व ही विश्व बाजार में अपनी कलाकृति के कारण ख्याति अर्जित कर चुके हैं। यहां की उत्पन्न ऊन की यह विशेषता है कि इसमें दबने के बाद वापस ऊपर उठने की क्षमता विश्व में उत्पादित अन्य ऊन की तुलना में अधिक होती है।

भेड़ से ऊन उतारते हुए

भेड़ की संकर किस्म

राज्य में ऊन आधारित उद्योगों की विपुल संभावनाओं को देखते हुए प्रथम से पंचम पंचवर्षीय योजना (1951 से 1979) तक 397.40 लाख रुपये सरकार द्वारा भेड़-ऊन विकास कार्यक्रमों पर व्यय किए गए तथा छठी योजना (1980–85) में 450 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव किया गया। उक्त

प्रावधानों में भेड़ ऊन विपणन संगठन की स्थापना, ऊन के रेशों की लम्बाई व्यास व शुद्ध ऊन उपज का परिणाम जांचने हेतु बीकानेर में ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना एवं सरकारी क्षेत्र में जयपुर, जोधपुर व बीकानेर में ऊन वर्गीकरण केन्द्रों की स्थापना उल्लेखनीय है । रेशे का अपव्यय रोकने हेतु न्यूज़ीलैंड से कल्पन विशेषज्ञ बुलाकर वैज्ञानिक ढंग से ऊन कल्पन का प्रशिक्षण दिया गया है । ऊन उत्पादन वृद्धि के प्रयासों में रूसी मेरीनों व आस्ट्रेलिया की विदेशी भेड़ों से संकर प्रजनन द्वारा नस्ल उन्नत करना सम्मिलित है। अविकानगर (मालपुरा) के केन्द्रीय भेड़-ऊन अनुसंधान संस्थान में नई नस्ल अविकालीन भेड़ प्रजनित की है, जो गलीचों के लिए उपयुक्त ऊन पैदा करती है ।

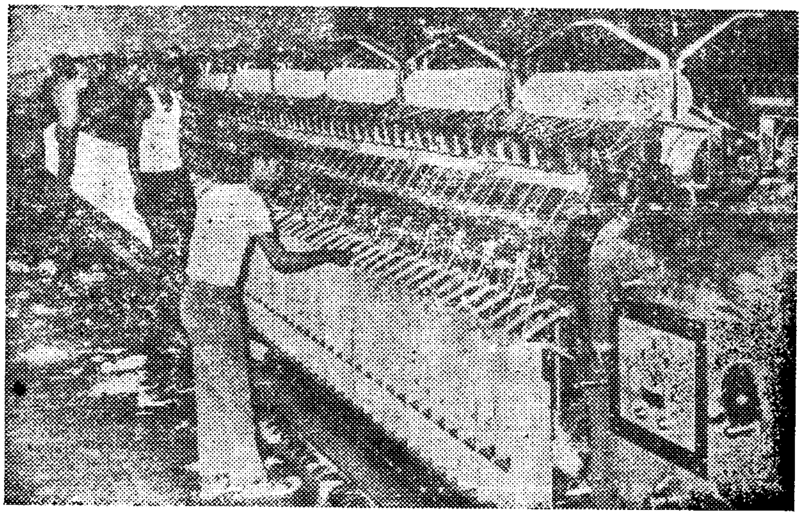

राजस्थान की एक ऊनी धागा मिल

सूखा संभावित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भेड़ों की आहार समस्या के समाधान हेतु 100-100 हैक्टेयर भूखण्डों पर 400-500 भेड़ें रखने हेतु, जोधपुर जालोर, नागौर व चुरु में कार्य प्रारम्भ किया गया है । राज्य सरकार ने जून 1979 में अधिसूचना जारी करके राज्य के 15 जिलों को ऊन आधारित संसाधनों से संबंधित जिले घोषित किए हैं । यही नहीं, दिनांक 22-10-1981 को राज्य के मुख्य मंत्री श्री शिवचरण माथुर ने बीकानेर जिले में बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र में 'ऊन मंडी यार्ड' की अलग से स्थापना करते समय राज्य के बीकानेर जिले को ऊन उद्योग के क्षेत्र में पंजाब राज्य का लुधियाना बनाए जाने का संकल्प दोहराते हुए इस उद्योग में सरकार की रुचि दर्शाई है ।

स्पष्ट है देश का यह क्षेत्र भेड़-पालन एवं ऊन उत्पादन में अग्रणी है, परंतु ऊन आधारित उद्योगों में, संसाधनों से सम्पन्न राजस्थान का अपेक्षित पिछड़ापन सामान्य सुविधाओं के अभाव में विकासशील राज्य के लिए एक चुनौती है । इन सुविधाओं के उपलब्ध कराए जाने पर यह उद्योग इस राज्य में रोजगार व विदेशी मुद्रा अर्जित कराने में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है :–

(1) यहां होजरी उद्योग की अच्छी संभावनाएं हैं । राज्य की ऊनी मिलों में तैयार किए जाने वाले धागे में मिश्रण हेतु यदि सरकार द्वारा मेरीनों ऊन/यार्न का कोटा संबंधित उद्योग को दिलाया जाए तो क्षेत्र में लुधियाना के स्तर का माल तैयार हो सकता है ।

(2) कम्बल, कालीन व गलीचों के उद्योग के विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्र के बुनकरों से माल तैयार करवाकर हथकर्घा बोर्ड व एम्पोरिया को इनके विक्रय की व्यवस्था करनी चाहिए ।

(3) वेस्ट वूल से फैल्ट (नमदा) बनाने के कारखाने विशेषतया जयपुर में ही हैं । जबकि राज्य के अन्य क्षेत्रों में यह कार्य लघु-उद्योग व सहकारिता के अन्तर्गत स्थापित किया जाए तो बृहद मात्रा में उपलब्ध वेस्ट वूल का समुचित उपयोग कर स्थानीय लोगों को काम पर लगाया जा सकता है।

(4) राज्य में गलीचा बुनकरों का अभाव होने के कारण तैयार ऊनी धागा गलीचा बनाने हेतु राज्य से बाहर भदोई (बनारस) व आगरा भेजा जाता है, जिससे परिवहन व्यय के कारण लागत में वृद्धि के साथ-साथ राज्य में रोजगार संभावनाएं निर्मूल ही नहीं होती बल्कि क्षेत्र के धागा बनवाकर भदोई भेजने वाले उत्पादकों को उनके माल की कीमत का, माल भेजने के लगभग एक वर्ष बाद भुगतान होता है, जिसके कारण वे निरन्तर अपना व्यवसाय जारी रखने में कठिनाई अनुभव करते हैं ।

(5) इस उद्योग के स्वभाव को बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाएं समझ नहीं पाई हैं । इस उद्योग का स्वभाव सूती वस्त्र उद्योग व कृत्रिम धागा उद्योग से सर्वथा भिन्न है । परंतु वित्तीय संस्थाएं इन उद्योगों की भांति ऊन उद्योग को भी अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती हैं जबकि ऊन आधारित माल

तैयार करने में 6 माह से 1 वर्ष तक का समय लगता है। अतः देश के औद्योगिक विकास बैंक को इस उद्योग की स्थापना व माल तैयार करने हेतु समुचित मात्रा में दीर्घ कालीन ऋण उपलब्ध करना चाहिए ।

(6) इस उद्योग के विकास हेतु बुनकरों की कमी दूर करने के लिए एक यह सुझाव अपेक्षित है कि राज्य की शालाओं में बुनकर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाए तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई० टी० आई०) में बुनकर का डिप्लोमा देकर अन्य डिप्लोमाधारियों की भांति इस उद्योग को स्थापित करने हेतु भी ऋण व अनुदान दिया जाए । इससे क्षेत्र में उपलब्ध ऊन व तयार धागे का समुचित उपयोग होने से दोहरा लाभ होगा । प्रथम केन्द्र सरकार द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही गावों में 'स्वरोजगार योजना' के अन्तर्गत राज्य के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तथा दूसरी ओर निर्यात् व्यापार में राज्य की प्रत्यक्ष भागीदारी में वृद्धि होगी ।

(7) सरकारी क्षेत्र में जिला उद्योग केन्द्रों के अधीन चलाए जा रहे गलीचा बुनकर प्रशिक्षण केन्द्रों पर 10 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि कहीं भी नियोजन हेतु 18 वर्ष की आयु आवश्यक है अतः समय बीतने पर प्रशिक्षण व्यावहारिकता से परे हो जाता है । इसलिए प्रशिक्षण की आयु व नियोजन की आयु में समन्वय किया जाए तथा बालश्रम अधिनियम में संशोधन किया जाए ।

(8) विदेशों से अच्छी किस्म की ऊन आयात करने में करों में रियायत व कर मुक्ति की सुविधा निर्यातकों की बजाय वास्तविक उत्पादकों को दी जाए तो उन्हें अच्छी किस्म की ऊन उचित मूल्य पर मिलने पर तैयार माल की किस्म में सुधार होगा ।

(9) इस उद्योग के विकास हेतु तथा विश्व बाजार में पाकिस्तान व चीन से प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए सरकार द्वारा अलग से गलीचा निर्यात संवर्धन निगम स्थापित करने की आवश्यकता है क्योंकि उद्यमी अपने स्तर पर प्रतियोगिता में सफल नहीं हो सकता ।

(10) उद्यमियों द्वारा तैयार माल की जोखिम वहन करने हेतु देश की वितीय संस्थाओं व सरकार को विशेष व्यवस्था करनी चाहिए ताकि तैयार माल की एक निश्चित प्रतिशत कीमत मिलने पर उद्यमी और अधिक माल तैयार करवाने में प्रोत्साहित होगा।

अतः राज्य में ऊन आधारित उद्योगों के विकास के लिए यहां उपलब्ध ऊन व अन्य मूलभूत सामग्री की सुलभता के साथ-साथ उक्त वर्णित औद्योगिक सुविधाओं के फलस्वरूप व्यापक संभावनाएं हैं। □

हीरे बन गए

सुधा सेठ

उस समय पंजाब के एक तहसीलदार थे—अमीचंदजी । दुर्गुणों की खान—अत्यन्त दुराचारी । शराबी—कबाबी ।

पर उनमें एक गुण था । उनका गला बहुत मीठा था। जब वह सुरीली आवाज में गाते तो सुनने वाले झूम-झूम उठते । 'वाह—वाह' करने लगते।

एक बार स्वामी दयानंदजी ने उनसे संगीत सुनने की इच्छा प्रकट की। तुरन्त एक भक्त ने टोका—"महाराज, उसका संगीत सुनकर आप क्या करेंगे । वह तो बड़ा दुराचारी है।"

स्वामी मुस्कुराये—"कोई बात नहीं। आप उनको मेरे सामने लाइए तो सही।"

और जरा देर बाद तहसीलदार अमीचंद जी स्वामी दयानंद के सम्मुख उपस्थित हुए ।

स्वामीजी ने उनसे सादर शिष्ट ढंग से संगीत सुनाने का आग्रह किया।

अमीचंद जी का सुमधुर गीत—संगीत सुनकर स्वामीजी आनन्दित हुए। फिर उन्होंने कहा—"अमीचंद जी आप हो तो हीरे, परन्तु कीचड़ में फंस गए हो।"

और सिर्फ इस एक वाक्य ने तहसीलदार अमीचंद का जीवन बदल दिया। वे लपकते हुए अपने घर पहुंचे। शराब की बोतलें व कबाब की प्लेटें तोड़ कर कूड़े में फेंक दी। उन्हें अपने पिछले जीवन से ग्लानि हो गई । फिर वे सचमुच हीरे बन गये। उन्होंने अपने सुमधुर गीतों द्वारा वैदिक सिद्धान्तों का दूर-दूर तक प्रचार किया। □

ग्रामीण औद्योगीकरण : आवश्यकता और स्वरूप

बृजेश कुमार बाजपेयी ❋ देवेंद्र कुमार बाजपेयी

भारतीय परिपेक्ष में औद्योगीकरण को शहरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ माना जाता रहा है। इसी अवधारणा पर आधारित अनेकों विकास प्रारूप विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं जिनके अन्तर्गत ग्रामीण बेरोजगार जनसंख्या को शहरी क्षेत्र में विनियोजित करने की बात भिन्न-भिन्न ढंग से रखी गई है। परन्तु भारतीय संदर्भ में ऐसे विकास प्रारूप अब पुराने प्रतीत होने लगे हैं। इन पर आधारित ग्रामीण जनसंख्या का नगरों में विस्थापित करना मूलतः दो कारणों से व्यावहारिक नहीं सिद्ध होगा :—

(1) ग्रामीण कार्यशील जनसंख्या पूर्णतया बेरोजगार नहीं है, लोग कृषि कार्यों में इस प्रकार लगे हैं कि उन्हें कार्य के अवसर तो मिलते जा रहे हैं परन्तु पूरे समय उन्हें काम नहीं मिल पाता। ग्रामीण क्षेत्र में मूल समस्या अर्द्ध बेरोजगारी की है। गावों में श्रम का अधिक्य है, श्रमिक आवश्यकता से अधिक नहीं है। समस्या के निराकरण के लिए जनसंख्या का नगरों या अन्यत्र विस्थापन कृषि उत्पादन के दृष्टिकोण से हानिकारक होगा।

(2) यदि जनसंख्या वृद्धि एवं कृषि उत्पादन तकनीक में सुधार के कारण ग्रामीण जनसंख्या का कुछ अंश कृषि उत्पादन को घटाए, नगरों में विस्थापित किया भी जाए तो उसके वहां रहने व रोजगार के साधन जुटाने में पूंजी निवेश कई गुना बढ़ जाएगा। महानगरीय सभ्यता में ग्रामीण जनसंख्या के सामंजस्य में सामाजिक लागत अत्यधिक बढ़ जाएगी, साथ ही यह व्यवस्था अव्यावहारिक भी होगी।

इस प्रकार ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के हल के लिए ग्रामीण शहरी श्रमिक विस्थापित पर आधारित प्रारूप त्रुटिपूर्ण है। क्योंकि इस विस्थापन में एक ओर तो कृषि उत्पादन घटने लगता है तथा दूसरी ओर श्रमिकों को नगरों में रोजगार उपलब्ध कराने की पूंजी लागत बढ़ जाती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि आने वाले वर्षों में भारत में जनसंख्या का विस्थापन नगरों में नहीं होगा। अब तक के आंकड़ों के अनुसार तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत धीरे-धीरे बढ़ रहा है। परन्तु अब यह स्पष्ट है कि ग्रामीण गरीबी व रोजगार का निराकरण, ग्रामीण जनसंख्या का शहरों में विस्थापन नहीं है, पूर्ण रोजगार व अधिक आय के साधन गांव ही में विद्यमान हैं।

कृषि क्षेत्र में श्रम विनियोजन क्षमता

पिछले कई दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, परन्तु इसमें सन्देह है कि भविष्य में उत्पादन वृद्धि के साथ-साथ अधिक श्रम-शक्ति उत्पादक रूप में कृषि कार्यों में विनियोजित की जा सकेगी। इस प्रक्रिया के जारी रहने के लिए आवश्यक है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि की दर पहले की अपेक्षा अधिक हो ताकि वर्तमान बढ़ती हुई जनसंख्या का विपरीत प्रभाव रोजगार व उत्पादन पर न पड़ सके। प्रस्तुत आंकड़ों से स्पष्ट है कि वर्ष 1961-62 व 1971-72 के बीच कृषक परिवारों की वार्षिक वृद्धि दर 2.66 प्रतिशत रही है, जबकि कृषि कार्यों में उपयुक्त भूमि में कमी हो गई है। प्रति परिवार कृषि भूमि जोकि 4.97 एकड़ वर्ष 1961-62 में थी वह वर्ष 1971-72 में 3.84 एकड़ रह गई। कृषि योग्य भूमि प्रति परिवार घटती हुई उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण जनसंख्या को अन्य कार्यों में लगाना ही अधिक उचित प्रतीत होता है। कृषि उत्पादन वृद्धि की दर भी कृषक श्रमिकों की वृद्धि दर से काफी कम रही है।

	इकाई	1961-62	1971 72	प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर
कुल कृषक परिवार	हजार	64,000	81,027	−2.66
कुल कृषि भूमि	हजार एकड़	317861	311244	−0.21
प्रति परिवार कृषि भूमि	एकड़	4.97	3.84	−2.27

स्रोत :—राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण : 38 व 152 चक्र।

वर्ष 1960-61 व वर्ष 1970-71 के बीच कृषि उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 2.23 प्रतिशत रही है जबकि इसी अवधि में कृषक श्रमिकों की वार्षिक वृद्धि दर 7.01 प्रतिशत रही है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान भूमि वितरण का स्वरूप भी ग्रामीण जनसंख्या के लिए कृषि के अतिरिक्त अन्य विकल्पों की प्रेरणा देता है। वर्तमान भूमि वितरण बड़े कृषकों द्वारा छोटे कृषकों के शोषण व भूमि वालों द्वारा भूमिहीनों के शोषण को बढ़ावा देता है। ग्रामीण जीवन की इन सभी परिस्थितियों के अध्ययन से स्पष्ट है कि यहां की जनता को और अधिक शोषण से बचाने व उनके

[illegible] सामाजिक आर्थिक जीवन के लिए कृषि कार्यों के साथ ही अन्य रोजगार व आय के साधन जुटाने आवश्यक हैं।

	इकाई	1960-61	1970-71	प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर
कुल कृषि उत्पादन	हजार टन	216172	264419	2.23
†कृषक श्रमिक	हजार	27918	47489	7.01

स्रोत :—सांख्यकीय सारांश—भारत-1978 ।

†वर्ष 1960-61 की कृषि श्रमिक संख्या वर्ष 1970-71 की नवीन 'कृषक श्रमिक' की परिभाषा के अनुसार समायोजित की गई है ।

परम्परागत व नई ग्रामीण औद्योगिक इकाइयां

वर्तमान ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार, उचित वितरण प्रणाली व दीर्घ कालीन विकास सम्बन्धी व्यवस्थाओं के लिए जन-संख्या को विनिर्माण कार्यों में लगाया जाना आवश्यक है । ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादन कार्य दो प्रकार की औद्यागिक इकाइयों के माध्यम से किया जा सकता है । विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से परम्परागत उद्योगों की उत्पादन क्षमता व किस्म में सुधार लाया जाना चाहिए । परन्तु परम्परागत औद्योगिक इकाइयों में सम्भवत: स्थानीय कच्चा माल व घरेलू तकनीक के प्रयोग के कारण उत्पादन की मांग के स्थानीय रह जाने की अधिक सम्भावनाएं हैं। इन इकाइयों द्वारा बने माल की मांग कम होने की स्थिति में इनमें लगे उद्यमियों का इसी व्यवसाय में लगे रहना कठिन होगा । इस स्थिति में इन उद्यमियों को अपने परम्परागत उत्पादन के स्थान पर प्रचलित नए उत्पादन से संबद्ध कार्य में लग्न होना पड़ेगा । उदाहरण के लिए कुम्हार को इस स्थिति में चीनी मिट्टी के उद्योग में आने पर व्यवसायिक प्रतियोगिता में कठिनाई नहीं होगी ।

परम्परागत औद्योगिक इकाइयों के संचालन में निहित उपरोक्त असुविधाओं के कारण दूसरे प्रकार की नई तकनीक से सुसज्जित लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना अधिक लाभप्रद होगी । इन नई ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों में निर्मित उत्पादन की मांग सीमित नहीं होगी । इन इकाइयों द्वारा तैयार उत्पादन की पर्याप्त मांग के कारण ग्रामीण जनता इसे मुख्य आर्थिक व्यवसाय के रूप में अपना सकेगी । ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों की उत्पादन तकनीक का आधुनिकता के साथ अधिकाधिक लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से श्रम प्रधान होना भी आवश्यक है। एक श्रम प्रधान औद्योगिक इकाई औसतन प्रति एक हजार रुपये के विनियोजन पर 27 व्यक्तियों को रोजगार उप-लब्ध करा सकती है, जबकि पूंजी प्रधान औद्योगिक इकाई में इसी विनियोजन पर केवल 3.5 व्यक्तियों के बराबर ही रोजगार क्षमता होती है । इसके अतिरिक्त श्रम प्रधान औद्योगिक इकाई की स्थापना लागत भी कम होगी जिससे कम पूंजी निवेश में ही अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं। ऐसी औद्योगिक इकाइयों की रोजगार क्षमता अधिक होने के कारण इनमें न केवल ग्रामीण जनता को रोजगार के अवसर मिलेंगे वरन् शहरों के प्रदूषित वातावरण में तनाव का जीवन व्यतीत कर रहे श्रमिकों को भी विस्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार के ग्रामीण औद्योगीकरण का प्रारूप निश्चय ही क्षेत्रीय असमानताओं को कम करके ग्रामीण विकास की नई दिशा प्रशस्त कर सकेगा ।

सर्वेक्षण की दृष्टि में ग्रामीण औद्योगीकरण

औद्योगीकरण द्वारा ग्रामीण विकास की सम्भावनाओं की पुष्टि सर्वेक्षण* द्वारा भी हुई है। ग्रामीण औद्योगीकरण के अध्ययन से संबद्ध वृहत सर्वेक्षण में से केवल उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले को ही हम यहां अपने विषय में सम्मिलित कर रहे हैं । इस जिले के तीन विकास खंडों के अन्तर्गत विभिन्न गांवों में स्थित अनेक छोटी-बड़ी तथा नई-पुरानी औद्योगिक इकाइयों के सर्वेक्षण से यहां दो प्रकार के उद्योग प्रकाश में आए । प्रथम : वे परम्परागत उद्योग जो देश के अनेक प्रदेशों में भी प्राचीन काल से चले आ रहे हैं तथा इनमें ग्रामीण पिछड़ी जातियां एवं हरिजन संलग्न हैं जैसे लकड़ी, लोहे, मिट्टी एवं चमड़े के बनने वाले सामानों में लगे कामगार । दूसरे : वे उद्योग जो वहां के परम्परागत व्यवसाय (बुनाई) पर आधारित है तथा अन्य बड़ी औद्योगिक इकाइयों के उत्पादन के समक्ष न ठहर पाने के कारण विकल्प उत्पादन कार्यों में लगे हैं। इस प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहित करने में कुछ स्थान-विशेष की स्थिति तथा परिवेश भी हैं। जैसे कि "असनी" (पूजा की चटाई) तथा कांच के मूंगे मोती बनाने वाली औद्योगिक इकाइयां वाराणसी के तीर्थ स्थान व पर्यटन स्थल होने के कारण पनप सकी हैं। गंगा नदी के किनारे कांसे की पैदावार प्रचुर मात्रा में होती है, जिसको कि मल्लाह स्त्रियों द्वारा औद्योगिक स्तर पर "असनी" बनाने के काम में लाया जाता है । पूजा की चटाइयों की अधिक मांग निश्चय ही वाराणसी के तीर्थ स्थल होने के कारण है । इसी प्रकार कांच के मूंगे मोतियों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने वाले संभवत: वहां पर आने वाले पर्यटक हैं। वाराणसी के स्थानीय मन्दिरों व ऐतिहासिक महत्व के स्थानों में ऐसे मूंगे मोतियों की मांग देशी व विदेशी पर्यटकों द्वारा पर्याप्त मात्रा में होती है ।

इसी श्रेणी के उद्योगों में कुछ और औद्योगिक इकाइयां प्रकाश में आईं जिनमें लैम्प शैड, तार की जाली व बांस का सामान बनाने वाली इकाइयां प्रमुख हैं। इन औद्योगिक इकाइयों की उत्पादन विधि पर ध्यान देने से स्पष्ट होता है कि इन सभी "बुनाई" प्रक्रिया का प्रयोग होता है । चूंकि बुनाई उद्योग (साड़ी व अन्य वस्त्र) वाराणसी में परम्परागत रूप से औद्योगिक व्यवसाय

*यह सर्वेक्षण गिरि विकास अध्ययन संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश के एक शोध-अध्ययन, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण औद्योगीकरण के अन्तर्गत 1979 में किया गया । लेखक स्वयं इस शोध-अध्ययन व सर्वेक्षण दल के वरिष्ठ सदस्य थे ।

हरियाणा की ग्रामीण उद्योग योजना

✲

गंगा शरण सैनी

भारत गांवों में बसता है गांवों की उत्पति ही भारत की उन्नति है। गांवों में बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी की समस्या के बादल मंडरा रहे हैं। प्रति वर्ष हजारों छात्र शिक्षा प्राप्त करके शिक्षण संस्थानों से बाहर आते हैं। इन शिक्षित युवाओं में से कुछेक को ही रोजगार मिल पाता है। ग्रामीण क्षेत्रों से अधिकांश शिक्षित युवा शहरों में रोजगार की तलाश में आते हैं, जिसके कारण शहरों में आवास, यातायात और अन्य कई प्रकार की समस्याओं का श्रीगणेश होता है। भारत में ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ग्रामीण उद्योगीकरण की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। उसके अन्तर्गत हरियाणा उद्योग विभाग द्वारा गांवों में बेरोगजारी की समस्या को हल करने के लिए ग्रामीण उद्योगीकरण की एक मार्ग-दर्शी परियोजना शुरू की है। इस योजना के अतर्गत उद्यमकर्ताओं को लघु उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आमतौर से ग्रामीण क्षेत्र के लिए लोगों में कोई जोखिम उठाने की क्षमता नहीं होती है। शिक्षा के प्रसार के बावजूद ग्रामीण युवक उद्योग स्थापित करने जैसी बात को बहुत बड़ा मानते हैं। हरियाणा में ग्राम उद्योग योजना चलाई जा रही है, जिसकी विस्तृत जानकारी इस लेख में दी गई है।

ग्राम उद्योग योजना

निःसंदेह भारत गांवों के समग्र आर्थिक विकास के बिना प्रगति नहीं कर सकता। आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुमुखी बनाया जाए और आर्थिक विषमता को दूर किया जाए। इस योजना के अधीन 2 लाख रुपये के पूंजी निवेश से उद्योग स्थापित किया जा सकता है। उद्योग विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमकर्ताओं की पूरी सहायता करते हैं। परम्परागत दस्तकारों, उनके बेटों या आश्रितों, भूमिहीन श्रमिकों और दूसरे उद्यमकर्ताओं की, उनके हुनर में सुधार करने के लिए सहायता दी जाती है। उन्हें छोटे यूनिट और कुटीर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत 18 से 55 वर्ष की आयु का उद्यमकर्ता उद्योग लगा सकता है और छोटे यूनिट लगाने वाले उद्यमकर्ताओं को राज्य सरकार अनेक प्रोत्साहन देती है। राज्य सरकार प्लांट और मशीनरी लगी पूंजी के आधार पर ही वित्तीय सहायता देती है जो अधिक से अधिक एक लाख रु० तक हो सकती है। गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने 1977 में यह योजना शुरू की जिसके अधीन अब तक लगभग 6000 लघु इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं।

उद्देश्य

योजना के प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख नीचे किया गया है :—

(1) गांवों के शिक्षित युवकों के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, ताकि बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सके;

(2) गांवों के कमजोर वर्गों और दस्तकारों की आय में वृद्धि करके जीवन स्तर में वृद्धि करना; और

(3) ग्रामीणों को शहरी क्षेत्रों की ओर आने से रोकना और उन्हें गांवों में रहने के लिए प्रेरित करना।

पात्रता

ग्रामीण उद्योग के लिए सुविधाएं लेने के लिए उद्यमकर्ता की पात्रता की निम्न शर्तें हैं :—

1. हरियाणा का कोई व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 55 वर्ष हो। मैट्रिक उत्तीर्ण हो या आई० टी० आई० से प्रशिक्षण किया हो और स्वयं रोजगार स्थापित करना चाहता हो।

2. इस योजना के अन्तर्गत 2 लाख रुपये तक की लागत से जिसमें भूमि, शेड निर्माण और मशीनों की कीमत शामिल है, के उद्योग लगाए जा सकते हैं।

3. अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए पात्रता की उपर्युक्त शर्तें नाम मात्र की हैं वे केवल साक्षर होने चाहिएं।

दस्तकारी में प्रशिक्षण लेतीं ग्रामीण महिलाएं

सुविधाएं

ग्रामीण उद्योग योजना के अन्तर्गत उद्योग विभाग हरियाणा द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का संक्षिप्त उल्लेख नीचे किया गया है :—

इस योजना के अन्तर्गत आकर्षक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं परन्तु सरकारी वित्तीय सहायता नामत: मूल राशि ऋण, नकद अनुदान ब्याज एवं स्टाम्प शल्क, पंजीकरण-शुल्क अनुदान आदि, मशीनों और संयंत्रों पर केवल एक लाख रुपये के आधार पर देय है ।

ग्राम उद्योग योजना के अन्तर्गत उद्योग स्थापित करने हेतु आसान शर्तों पर धन उपलब्ध कराया जा रहा है । वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1) वित्तीय संस्थाओं से ऋण 80 प्रतिशत (6 प्रतिशत) वार्षिक रियायती ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है ।

(2) राज्य सरकार से मूल राशि ऋण (सीडमनी) 10 प्रतिशत, 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण दिया जाता है

(3) उद्यमकर्ता-अंशदान-10 प्रतिशत ।

इस योजना के अन्तर्गत अन्य सुविधाएं दी जा रही है, जिनका संक्षिप्त उल्लेख नीचे किया गया है :—

(1) राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाख रुपये तक की अचल पूंजी पर 15 प्रतिशत निवेश अनुदान ।

(2) प्रोजेक्ट प्रोफाइल की मुफ्त सप्लाई ।

(3) वित्तीय संस्थानों के द्वारा दी जाने वाली राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज की दर से अधिक ब्याज पर अनुदान सहायता ।

(4) कच्चे माल, प्रोसेसिंग, पैकिंग सामग्री, मशीनरी एवं तैयार माल पर 2 साल की अवधि के लिए क्रय-विक्रय कर से छूट ।

(5) 7 वर्ष की अवधि के लिए बिजली शुल्क में छूट ।

(6) पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में स्वउत्पादित बिजली पर 5 वर्ष के लिए शुल्क की छूट ।

(7) 100 प्रतशित कच्चे माल का अतिरिक्त आबंटन ।

(8) 20 प्रतिशत मूल्य अधिमान (प्रेफरेंस) ।

(9) अन्तर्राज्य बिक्री कर के स्थान पर 7 वर्षों की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था ।

(10) सीडमनी सहायता के लिए रहन संबंधी कागजात को पूरा करते समय लगने वाले स्टाम्प एवं पंजीकरण से छट ।

(11) इस योजना के अन्तर्गत स्थापित औद्योगिक इकाइयों को तैयार माल की बिक्री के लिए हरियाणा राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम के बिजली विपणन केन्द्रों द्वारा विपणन में सहायता प्रदान की जाती है ।

(12) औद्योगिक इकाइयों को उद्योग विभाग की सिफारिश

पर हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बिजली कनैक्शन उच्चतर प्राथमिकता के आधार पर दिए जाते हैं ।

(13) उद्यमकर्ताओं को यदि अपेक्षित हों तो, प्रशिक्षण हेतु उनकी तकनीकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर 100 से 400 रुपये प्रति माह की दर से प्रशिक्षण छात्रवृति प्रदान की जाती है ।

हरियाणा उद्योग विभाग ने ग्राम उद्योगीकरण को सफल बनाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता महसूस की थी। इस कार्यक्रम में औद्योगिक आधार तैयार करना, उद्योगों का चयन, प्रशिक्षण का प्रबन्ध और ग्राम सुविधाओं, कच्चा माल, क्वालिटी कंट्रोल की व्यवस्था और ग्रामीण विकास केन्द्रों में बिक्री केन्द्र खोलना शामिल हैं ।

हरियाणा राज्य लघु उद्योग एवं निगम ने उद्यमकर्ताओं के घर द्वार पर ही अनेक लाभ जुटाने की योजना बनाई है । यह अनुमान किया जा रहा है कि उद्योग समूह विकसित किए बिना उद्यमकर्ताओं को कच्चा माल प्राप्त करने, अपने माल को बेचने और कुशल श्रमिक प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा । इस बात का ध्यान रखते हुए निगम ने ग्रामीण युवकों को विभिन्न हुनरों में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण सहित ग्राम सुविधाएं केन्द्र खोले हैं। उन्हें मंहगी मशीनरी, डिजाइन सहायता क्वालिटी कंट्रोल उपकरण, तकनीकी मार्ग-दर्शन इत्यादि के रूप में ग्राम सुविधाएं भी जुटाई हैं । चूंकि इन सभी सुविधाओं पर अधिक पूंजी लगानी पड़ती है इसलिए उद्यमकर्ता स्वयं इनकी व्यवस्था नहीं कर सकता है । बाटा इण्डिया लिमिटेड, रीटा मैकेनिकल वर्क्स लुधियाना', इण्डियन आयल कारपोरेशन, डिटस (इलैक्ट) इंडिया जैसी कम्पनियों से पहले से इन उद्योग समूहों के विकास में सहयोग लिया जा रहा है ।

विपणन केन्द्रों की स्थापना

हरियाणा राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम ने राज्य के सभी 12 जिलों में विपणन केन्द्र पहले से खोल रखे हैं । केन्द्र ग्रामीण उद्योगों की उनके माल की बिक्री में सहायता करते हैं । इस कार्य के बदले में नाम मात्र का बिक्री कर लिया जाता है । ग्राम उद्योग क्षेत्र के उद्यमकर्ताओं को माल सप्लाई करने के बाद खरीददारों से माल की कीमत लेने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है, क्योंकि निगम माल की सप्लाई होने पर 90 प्रतिशत राशि उद्यमकर्ताओं को दे देता है । शेष 10 प्रतिशतर राशि खरीददारों द्वारा सारी कीमत अदा करने के बाद दी जाती है । . राज्य सरकार ने 26 वस्तुओं को इन बहुत छोटी यूनिटों से ही खरीदने के लिए आरक्षित कर रखा है ।

निगम द्वारा हरियाणा निम्न प्रोजैक्ट लगाने की योजना बना रहा है :-

—मुर्थल (जिला सोनीपत)—खेलों के सामान निर्माण करने का कम्पलैक्स ।

—जिला करनाल में होजरी बनाने का कम्पलैक्स जो घरौंडा के समीप कुंड गांव में स्थापित किया जाएगा ।

—झझर में जूते बनाने का केन्द्र कार्य कर रहा है । इस केन्द्र के समीप मिट्टी के कलात्मक बर्तन बनाने का केन्द्र खोला जाएगा ।

—रिवाड़ी में चमड़े का सामान बनाने का एक केन्द्र खोलने की योजना है ।

—पंचकूला में इंडियन आयल कारपोरेशन की सहायता से नूतन स्टोव बनाने की एक यूनिट पहले ही स्थापित की जा चुकी है ।

—पंचकूला में सिलाई मशीन बनाने की यूनिट स्थापित हो चुकी है ।

हरियाणा द्वारा चलाई गई ग्रामीण लघु उद्योग योजना की जानकारी प्राप्त करके ग्राम लघु उद्योग की स्थापना करने का संकल्प करना और सरकारी सहायक का लाभ उठा कर इच्छित उद्योग स्थापित करने चाहिए । उद्योग स्थापना से पूर्व प्रशिक्षण ले लेना अत्यन्त आवश्यक है । यदि ग्रामीण युवक ग्रामीण स्तर पर उद्योग स्थापित कर लेंगे तो उन्हें रोजगार भी मिलेगा और उन्हें शहरों में भी नहीं आना पड़ेगा, जिससे न केवल बेरोजगारी दूर होगी, बल्कि उनकी आय में वृद्धि भी होगी । इससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा । अन्ततः गांव की जनता में खुशहाली का आलम होगा ।□

गंगा शरण सैनी
भूतपूर्व अतिरिक्त सहायक निदेशक,
केन्द्रीय जल आयोग,
1023, टाइप-4, एन० एच०-4
फरीदाबाद (हरियाणा) ।

ग्रामीण विकास के लिए प्रधानमंत्री का कोष

सरकार जल्दी ही 'ग्रामीण विकास के लिए प्रधानमंत्री का कोष' नामक एक कोष स्थापित करेगी । इसमें दिए जाने वाले अंशदान को आयकर से मुक्त रखा जाएगा ।

पशु-प्रजनन या डेयरी उपयोग अथवा मुर्गीपालन के कारोबार से और कुकुरमुत्ता (खुंबी) उगाने के कारोबार से प्राप्त होने वाले लाभों और अभिलाभों के संबंध में जो अब तक विशेष कटौती अनुमत थी उसे वापस लेने का प्रस्ताव है ।

लद्दाख में ऊंचाई पर कृषि अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

लद्दाख में केवल मई से सितम्बर तक के महीनों में फसल उगाई जा सकती है। ग्रीष्म और मानसून काल में आमतौर पर 70 मि० मी० वर्षा होती है जो फसल पौध वृद्धि के लिए अपर्याप्त है। कम बारिश और निम्न तापक्रम के कारण लद्दाख क्षेत्र को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् इस क्षेत्र के अनुसंधान कार्य के विकास की आवश्यकता के प्रति सजग है और इसने केन्द्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के तत्वावधान में, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का एक संस्थान है, लद्दाख में एक क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति दी है। यह केन्द्र लद्दाख क्षेत्र से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर बहु-विध अनुसंधान कार्य करेगा। परिषद् ने 4.09 लाख रु० की लागत से जम्मू और कश्मीर विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग को 3 वर्ष के लिए "लद्दाख के सामाजिक-आर्थिक संबंध में वनस्पति विज्ञान" पर एक तदर्थ प्रायोजना को भी स्वीकृति दी है। इस योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लक्ष्य के लिए मानव-वनस्पति विज्ञान के पहलुओं पर अनुसंधान कार्य करना है। इस प्रायोजना पर शीघ्र ही कार्य आरम्भ होने की आशा है।

रक्षा मंत्रालय के खाद्य और व्यावहारिक विज्ञान निदेशालय की रक्षा प्रयोगशाला भी मात्स्यिकी तथा गोपशुओं, मुर्गियों और खरगोशों की उपयुक्त नस्लों में सुधार और अनुसंधान पर कार्य कर रही है।। खुम्बी पर भी काम प्रगति पर है। शीत और बसंत कालीन मौसम में विश्व के बहुत ठंडे भागों से प्राप्त गेहूं पर भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा परीक्षण किए जा रहे हैं। नई किस्मों पर परीक्षण कार्य लगातार चल रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने अखिल भारतीय समन्वित बकरी सुधार परियोजना के अन्तर्गत एक केन्द्र भी लद्दाख क्षेत्र में पशमीना बकरियों में सुधार लाने के लिए स्थापित किया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थानों जैसे—अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजनाएं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में (आई० ए० आर० आई०). विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला (वी० पी० के० ए० एस०), राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी स्रोत ब्यूरो (एन० बी० पी० जी० आर०) आदि की सहायता से लेह स्थित रक्षा प्रयोगशाला द्वारा गेहूं, जौ, मटर, सब्जियों, फूलों आदि की नवीन किस्मों पर लगातार परीक्षण किया जा रहा है। गेहूं की छोटी लर्मा नामक एक किस्म लद्दाख क्षेत्र के लिए अच्छी पाई गई है। तथा इसे काफी मात्रा में राज्य सरकार द्वारा किसानों को बांटने के लिए दिया गया है ताकि वे स्थानीय किस्मों के स्थान पर इसे प्रयोग में लाएं। लद्दाख क्षेत्र में गेहूं, जौ, सब्जियों आदि की नई किस्मों पर लगातार परीक्षण हो रहा है।□

खुशहाली

चलो, चलकर देखें
लगन और श्रम की कसौटी पर
अपने आप को परखें।
वह देखो—
सोमाभाई पटेल
पहले नदी में जाल डाले
घंटों बैठा रहता था।
मगर अब—
राज्य मछली विभाग से
मछलियों के अण्डे लेकर
पिंजरा नदी में लगा देता है,
अण्डे बढ़ते हैं, मछली बनती हैं,
और.........
भाग्य मुट्ठी में बन्द।
यह देखो—
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
बीज तैयार कर बिक्री करिए,
बागवानी कीजिए, खुंबी लगाइए,
माचिस या आतिशबाजी,
मिट्टी के बर्तन या अगरबत्ती बनाइए।
आटो रिक्शा चलाइए,
गोबर गैस संयंत्र लगाइए।
हर दृष्टि से, हर क्षेत्र में
सरकारी सहायता और
प्रशिक्षण की व्यवस्था है।
यह है बीस-सूत्र का एक भाग।
कमी अखरती है तो बस!
कड़ी मेहनत और लगन की,
पक्के इरादे की।
आज ही—
साहस और निष्ठा जुटाइए,
गांव-दर-गांव
खुशहाली लाइए।

रमन गुप्त
(व्याख्याता)
ज्ञान ज्योति उ० मा० विद्यालय,
श्री करनपुर 335073
(राजस्थान)

खाना पकाते समय पोषक तत्वों को नष्ट होने से कैसे बचाएं

अनउपयुक्त तरीके से खाना पकाने से भोजन में पाए जाने वाल विटामिन, खनिज और प्रोटीन जैसे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं।

अनाज की पिसाई तथा अन्य खाद्य पदार्थों के तत्व निकलने से खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता में कमी आती है क्योंकि ये पोषक तत्व बीजों, फलों तथा सब्जियों के छिलकों आदि में मौजूद होते हैं और शोधन की प्रक्रिया में यह पोष्क तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसी के कारण घर पर निकाला गया सेला चावल मिल के चावल से अधिक पोष्टिक होता है क्योंकि मिल में तैयार चावल के पोष्टिक तत्व इस प्रक्रिया में नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार पिसे हुए आटे में मैदे की अपेक्षा अधिक पौष्टिक तत्व होते हैं। खाद्य पदार्थों के शोधन की प्रक्रिया में निकला चोकर या घर में पिसे हुए आटे से छन कर निकले चोकर में अधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं।

चावल पकाने से पहले इसको तीन चार बार पानी से धोना एक आम बात है। इसके अलावा पानी की अधिक मात्रा में चावल पकाया जाता है और पकाने के बाद अतिरिक्त पानी को फेंक दिया जाता है। इस प्रक्रिया में "बी" ग्रुप के विटामिन नष्ट हो जाते हैं उदाहरणार्थ, मिल में तैयार चावल को धोने से 60 प्रतिशत तक विटामिन नष्ट हो जाते हैं।

सब्जियों और पत्तों को छीलने और काटने का प्रभाव

काटना और छीलना : जब सब्जियों और पत्तों को काटा या छीला जाता है तो इससे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं क्योंकि ये पोषक तत्व अधिकतर पत्तों, सब्जियों की ऊपरी सतहों और जड़ों में होते हैं। एसकार्बिक एसिड (विटामिन सी) की अधिकांश मात्रा आलू के छिलकों के बिलकुल नीचे होती है और आलू छीलने के परिणामस्वरूप 12 से लेकर 35 प्रतिशत तक विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। "बी" काम्पलेक्स विटामिन, थियामिन रिबोप्लेविन पर्याप्त मात्रा में गाजर के छिलकों में होते हैं। सलाद के पत्तों के बाहरी हिस्से में विटामिन "बी" और "सी" पर्याप्त मात्रा में होता है अन्दर के की अपेक्षा बाहर के हरे पत्तों में खनिज लवण अधिक पाए जाते हैं। काटने से खाद्य पदार्थों के भार में आई कमी के बराबर ही विटामिनों का नुकसान होता है।

सेब के छिलकों में एसकार्बिक एसिड की मात्रा सेब के गूदे की अपेक्षा 3 से 10 गुना अधिक होती है। साथ ही छिलकों में निआसिन और रिबोप्लेविन की मात्रा गूदे की तुलना में कुछ अधिक होती है। एसकार्बिक एसिड टमाटर और अन्य फलों के बिलकुल नीचे की परत में सामान्य रूप से अधिक होती है। अतः विभिन्न प्रकार की सब्जियों और फल काटते और छीलते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उनके पोषक तत्व अधिक से अधिक मात्रा में सुरक्षित रह सकें।

> पोषक तत्व हमारे भोजन का महत्वपूर्ण अंग हैं और खाना पकाते समय इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि इन तत्वों का कम से कम ह्रास हो। खाना पकाते समय तीन मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए—(1) कम चौड़े बर्तन में खाना पकाएं;
>
> (2) खाना कम समय में तैयार किया जाना चाहिए; और
>
> (3) कम तापमान पर खाना पकाना चाहिए। सब्जियां कम से कम आवश्यक पानी में पकाई जानी चाहिएं जिससे कि चावल और सब्जियों के पकने के बाद अतिरिक्त पानी को फेंकना न पड़े।

धोना और भिगोना : खाना पकाने से पूर्व कन्द मूल और सब्जियों को धोने और धोकर भिगोने से अधिकांश पोषक तत्व पानी में घुलकर बह जाते हैं। लगातार दो घंटे तक आलुओं को पानी में भिगोने पर उसमें 11.9 प्रतिशत तक थियामिन नष्ट हो जाता है और पांच घंटे तक शकरकंदी को पानी में भिगोने से उसमें से 21.1 प्रतिशत थियामिन नष्ट हो जाता है। आलू को छीलकर 28 घंटे तक पानी में भिगोने से उसमें 1 प्रतिशत एसकार्बिक एसिड, 8 प्रतिशत थियामिन, 5 प्रतिशत रिबोप्लेविन और 14 प्रतिशत निआसिन नष्ट हो जाते हैं।

सब्जियों को छीलने और काटने से पूर्व भली भांति धो लेना चाहिए। सब्जियों के छिलके कम से कम उतारने चाहिए

जि[illegible] कि उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्व नष्ट न होने पाएं ।

कटी हुई बन्दगोभी में 9 से 15 प्रतिशत एसकार्बिक एसिड, 0 से 5 प्रतिशत थियामिन और 3 प्रतिशत तक रिबोप्लेविन नष्ट हो जाता है । मथे हुए आलुओं में एसकार्बिक एसिड सबसे अधिक नष्ट हो जाता है । खीरे और ककड़ी की सलाद तैयार करने के दौरान 2 प्रतिशत एसकार्बिक एसिड नष्ट हो जाता है और यदि उन्हें क्रमश: एक और तीन घंटे तक उसी प्रकार रहने दिया जाए तो उसमें 8 प्रतिशत और 11 प्रतिशत एसकार्बिक एसिड और नष्ट हो जाता है । टमाटर की सलाद में तीन प्रतशित एसकार्बिक एसिड नष्ट हो जाता है । मूली को छीलकर 24 घंटे तक रखने से उसमें 27 प्रतिशत थियामिन नष्ट हो जाता है । छिलके समेत अथवा छीलकर काटे गए सेबों में 1 से 2 घंटे में 20 प्रतिशत और 3 घंटे में 35 प्रतिशत एसकॉर्बिक एसिड नष्ट हो जाता है ।

उबालना : एसकार्बिक एसिड सभी पोषक तत्वों से अधिक संवेदनशील होता है । बन्द गोभी उबालते समय उसमें केवल 13 प्रतिशत एसकार्बिक एसिड रह जाता है जबकि उबली हुई और छिलके समेत शकरकंदी में 100 प्रतिशत एसकार्बिक एसिड पाया जाता है । आलुओं को छिलके समेत उबालने से भी उसमें काफी मात्रा में एसकार्बिक एसिड पाया जाता है । अधिक पानी डालने, खाना पकाने में अधिक समय लगाने और खाद्य पदार्थ कम होने की दशा में एसकार्बिक एसिड की संभावना सबसे कम रह जाती है ।

उबालने की प्रक्रिया के दौरान सब्जियों में कैलशियम की अधिकांश मात्रा नष्ट हो जाती है । बन्द गोभी उबालने के दौरान उसमें कैलिशयम की 20 प्रतिशत से अधिक मात्रा नष्ट होने की संभावना रहती है । औसत अनुमानों के अनुसार सब्जियों में काफी मात्रा में पानी डालकर ढक कर पकाने से कम मात्रा में पानी डालकर पकाने की तुलना में, 26 प्रतिशत कैलशियम पानी में घुलकर बह जाते हैं । धीरे धीरे विशेषकर बर्तन को बिना ढके, खाना पकाने से भी अधिक हानि होती है । बर्तनों को ढक कर खाना पकाने से पोषक तत्वों की बहुत कम मात्रा में नष्ट होने की संभावना रहती है ।

प्रेशर कुकर में खाना पकाना : प्रेशर कुकर में सब्जियां पकाने से पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में नष्ट होते हैं, जबकि उबालने के दौरान इनकी नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है । जब बन्द गोभी को प्रेशर कुकर में पकाया गया तो यह पाया गया कि उसमें 91 प्रतिशत एसकार्बिक एसिड मौजूद था ।

भाप से खाना पकाना : भाप से पकाई गई सब्जियां पोषक तत्वों की दृष्टि से सर्वोत्तम मानी जाती हैं । भाप से पकाई हुई बन्द गोभी में 67 प्रतिशत एसकार्बिक एसिड, 88 प्रतिशत थियामिन और 100 प्रतिशत रिवो प्लेविन पाया जाता है जबकि उबली हुई बन्द गोभी में 30 प्रतिशत एसकार्बिक एसिड, 43 प्रतिशत थियामिन और 50 प्रतिशत रिबोप्लेविन होता है । भाप द्वारा पकाई गई सब्जियों में पोषक तत्वों के नष्ट होने की कम संभावना होती है । इसका मुख्य कारण यह है कि भाप के दौरान उबलने की अपेक्षा पोषक तत्व बहुत कम निकल पाते हैं ।

धातु का प्रभाव : तांबा, तांबा मिश्रित धातु और लोहा अधिकांश सब्जियों के सुस्वाद और उसकी उपयोगिता को प्रभावित करता है । जस्ता और कडमियम के बर्तनों में खाना बनाना उचित नहीं है क्योंकि इन धातुओं के एसिड घुलनशील हैं । जहां तक संभव हो सके धातुओं के बने बर्तनों में खाना नहीं पकाया जाना चाहिए ।

बहुत देर तक सब्जियां गर्म रखने से पोषक तत्वों की हानि : बहुत अधिक देर तक पकाई गई गर्म सब्जियां रखने से विटामिन "सी" तथा थियामिन तथा रिबोप्लेविन जैसे तत्वों का अपेक्षाकृत अधिक नुकसान होता है । बेहतर यही है कि पकाई गई सब्जियों का तत्काल इस्तेमाल कर लेना चाहिए ।

खाद्य तेल और चरबीयुक्त तत्व : खाद्य तेलों को बार-बार गरम करने से विटामिन "ए" और "डी" काफी मात्रा में नष्ट हो जाते हैं तथा इसके साथ ही चरबीयुक्त पदार्थों में भी स्वाभाविक परिवर्तन और खाने में अम्लीय मात्रा में वृद्धि हो जाती है । इसलिए जहां तक संभव हो सके, खाने को बार-बार गर्म करने से बचना चाहिए ।

छाछ का पानी : छाछ एक ऐसा तरल पदार्थ है जो पनीर तैयार करने के दौरान दूध से अलग होकर बनता है । इस छाछ में लेक्टेसो, दूध, चीनी, विटामिन "बी" काम्पलेक्स तथा कुछ मात्रा में दूध के प्रोटीन होते हैं । अगर इस छाछ को फेंक दिया जाता है तो इसके लाभकारी पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं । सब्जियां, दालें, चावल अगर इस छाछ में पकाई जाएं तो इससे इन तत्वों को न केवल नष्ट होने से बचाया जा सकता है बल्कि इनकी पौष्टिकता में भी वृद्धि की जा सकती है । छाछ में नमक डालकर और स्वादिष्ट बनाकर पिया भी जा सकता है ।

पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचाने के लिए, खाना पकाते समय तीन मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए जैसे—

(1) कम चौड़े बर्तन में खाना पकाएं;

(2) खाना कम समय में तैयार किया जाना चाहिए; और

(3) कम तापमान पर खाना पकाना चाहिए ।

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है सब्जियां कम से कम आवश्यक पानी में पकाई जानी चाहिए जिससे कि चावल और सब्जियों के पकने के बाद अतिरिक्त पानी को फेंकना न पड़े । चोकर को खाद्य पदार्थ से अलग नहीं किया जाना चाहिए और छाछ का इस्तेमाल किया जाना चाहिए । जिस प्रकार भी संभव हो अधिक धोने, अधिक पकाने तथा अधिक शोध से बचना चाहिए । कम से कम पकाया गया खाना ही सर्वोत्तम होता है । खाद्य पदार्थों में पौष्टिक तत्वों की मात्रा जितनी अधिक होगी, हमारे भोजन लेने की आवश्यक मात्रा भी कम होगी और इससे हमारा खाना अधिक पौष्टिक होगा और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होगा ।

भूल सुधार

मार्च, 1983 अंक के पृष्ठ 16 पर लेखक का नाम डा० विनय कुमार लाल श्रीवास्तव के स्थान पर डा० विजय कुमार लाल श्रीवास्तव पढ़ें ।

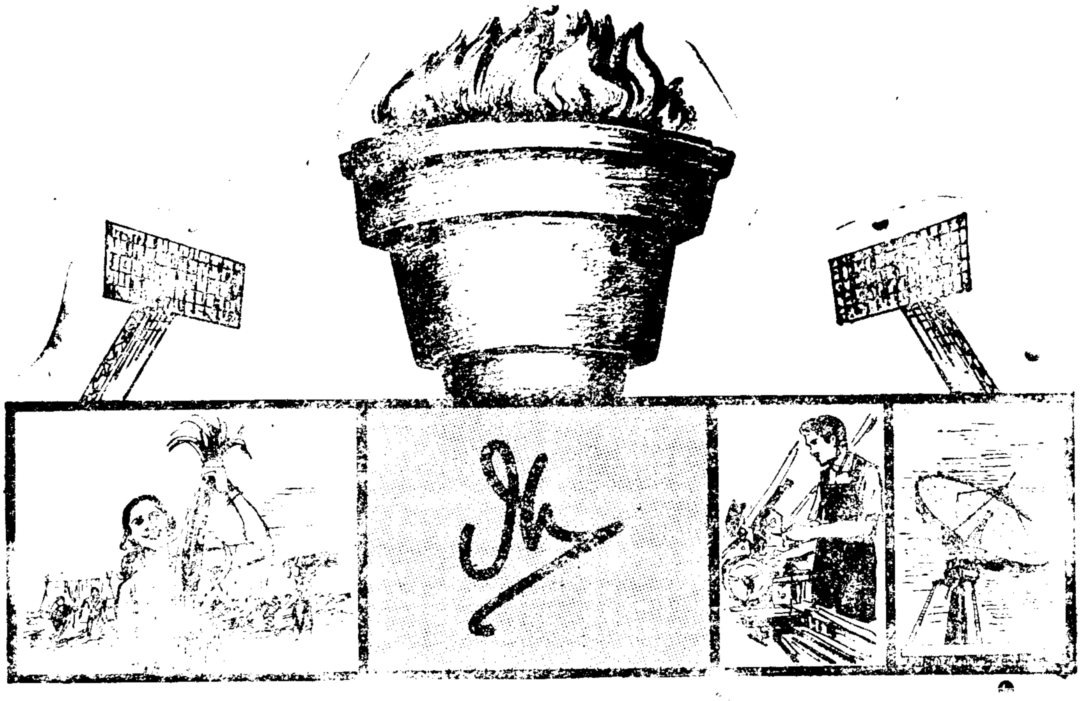

श्रम एव जयते

नवें एशियाई खेलों को शानदार सफलता मिली। देश-विदेश के लोगों ने भारत की इस विशाल आयोजन के लिए भूरि-भूरि प्रशंसा की कि इतने कम समय में इतना बड़ा आयोजन कितने सुचारु ढंग से सम्पन्न हो गया। इसके पीछे था सही नेतृत्व, अनुशासन और कड़ी मेहनत।

बड़े बड़े स्टेडियम देखते ही देखते तैयार कर लिए गए। रंगीन टेलीविजन के माध्यम से भारत और अन्य देशों के लाखों-करोड़ों लोगों ने इन खेलों का भरपूर आनंद उठाया। इन सब कार्यों को सुचारु रूप से सम्पादित करने के लिए कम्प्यूटरों, इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों, माइक्रोवेव और उपग्रह प्रणाली जैसे नवीनतम वैज्ञानिक साधनों का अत्यन्त कुशलतापूर्वक उपयोग किया गया।

...ताकि मशाल जलती रहे

आइए एशियाई खेलों की इस भावना का उपयोग हम राष्ट्रीय विकास के कार्यों में भी करें।

हमारे देश की अर्थव्यवस्था निरन्तर प्रगति कर रही है। इस प्रगति को बनाए रखना हमारे हाथ में है जिससे हम अपने करोड़ों देशवासियों का बोझ हल्का कर सकें। इस प्रयास में हम सब को सहयोग देना है।

आइए हम सब मिल कर एक सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण में जुट जाएं।

davp 82/582

केन्द्र के समाचार

समन्वित बाल विकास सेवाओं को प्रोत्साहन

इस समय देश में लगभग छः सौ बाल विकास सेवा परियोजनाएं चल रही हैं और अगले वित्त वर्ष में दो सौ और बाल विकास सेवा परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है । केन्द्रीय शिक्षा, संस्कृति और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती शीला कौल ने नई दिल्ली राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के छात्रावास का उद्घाटन करते हुए उक्त घोषणा की । उन्होंने कहा कि छठी योजना में एक हजार परियोजनाएं लागू करने का लक्ष्य था।

भारत ने पिछले तीन दशकों में बच्चों के कल्याण और विकास के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए हैं। समन्वित बाल विकास सेवा का तेजी से विस्तार होने के साथ-साथ कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षण गतिविधियों का भी पर्याप्त विस्तार करना होगा । अतः समाज कल्याण मंत्रालय ने शीर्ष संख्या के रूप में यह दायित्व जन सहयोग और बाल विकास संस्थान को सौंपा है ।

ग्रामीण पेयजल के लिए और अधिक धनराशि

निर्माण और आवास मंत्रालय ने केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए छः राज्यों को 14.93 करोड़ रु० की और धनराशि जारी की है। यह 1982-83 के सहायता अनुदान की आखिरी किश्त है ।

इस अनुदान के अन्तर्गत गुजरात को 143 लाख रुपये, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश को 150-150 लाख रुपये, तमिलनाडु को 100 लाख रुपये तथा उत्तर प्रदेश को 800 लाख रुपये दिए जाएंगे ।

इस परियोजना के कार्य की गति तेज करने के लिए केन्द्र द्वारा इन राज्यों को अतिरिक्त विनियोजन किए जाने की व्यवस्था की गई है । यह परियोजना नए 20-सूत्री कार्यक्रम का अभिन्न अंग है । राज्यों को कहा गया है कि वे अधिक से अधिक उन गांवों का पता लगाएं जिनमें राज्य तथा केन्द्रीय धनराशि से पेयजल सप्लाई की व्यवस्था की जा सके। उनसे यह भी कहा गया है कि वे ऐसे अधिकाधिक समस्याग्रस्त गांवों में ये परियोजनाएं आरम्भ करने का प्रयास करें । इन छः राज्यों के लिए इस वर्ष का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है । इस वर्ष गुजरात के लिए 800, जम्मू व कश्मीर के लिए 407, कर्नाटक के लिए 6,000 मध्य प्रदेश के लिए 6,447 तमिलनाड के लिए 1,060 तथा उत्तर प्रदेश के लिए 5,000 गाँवों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

इस धनराशि के अतिरिक्त निगरानी तथा निरीक्षण इकाइयों की स्थापना के लिए हरियाणा तथा आन्ध्र प्रदेश को क्रमशः 4 लाख रुपये तथा 6 लाख रुपये की धनराशि भी जारी की गई है ।

चार राज्यों के चुने हुए गांवों के लिए 2000 सामुदायिक टेलीविजन सेट

सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री, श्री हरकिशन लाल भगत ने कहा है कि टेलीविजन ट्रांसमीटरों की परिधि के अन्दर आने वाले महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के चुने हुए गांवों में 2000 सामुदायिक टेलीविजन सेट उपलब्ध कराए जाएंगे ।

इन टेलीविजन सेटों के द्वारा ग्रामीण जनता क्षेत्र-विशेष से सम्बन्धित कार्यक्रमों को देख सकेगी, जिसमें इन टी० वी० ट्रांसमीटरों की प्रसारण परिधि में पैदा की जाने वाली मुख्य फसलों के बारे में सामयिक और आवश्यक जानकारी मिलेगी । क्षेत्र-विशेष के कार्यक्रम दिल्ली, कटक, हैदराबाद तथा अहमदाबाद में तैयार किए जाते हैं तथा देश के विभिन्न भागों में स्थित सात ट्रांसमीटरों से उनको प्रसारित किया जाता है ।

भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सेट- 1 बी) के छोड़े जाने से इस सेवा का देश के और अधिक भागों में विस्तार करने का प्रस्ताव है। उन्होंने बताया कि छठी योजना अवधि के दौरान इन्सेट के टेलीविजन के लिए उपयोग करने की योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के 18 चुने हुए जिलों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है ।

देश भर में लाखों लघु और सीमान्त किसानों को कृषि के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी की जानकारी देने में जन प्रचार माध्यमों की विशेष भूमिका है । आकाशवाणी इस कार्य के लिए पहले ही एक शक्तिशाली माध्यम बन चुका है । देश भर में स्थित आकाशवाणी के 86 केन्द्रों में से 64 केन्द्रों में विशेष फार्म तथा होम इकाइयां काम कर रही हैं। इन केन्द्रों द्वारा प्रसारित कार्यक्रम ग्रामीण श्रोताओं के लिए बहुत उपयोगी होता है । जिनमें कृषि फार्मों, मुर्गी पालन, मछली पालन तथा ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं के बारे में समय-समय पर महत्वपूण जानकारी दी जाती है।

छोटी इकाइयों को कच्चे माल की सप्लाई

सरकार ने कुछ लौह और अलौह धातुओं, इस्पात, कच्चा लोहा आदि के वितरण को विनियमित करने के लिए कदम उठाए हैं। इनमें से अधिकांश को राज्य लघु उद्योग निगमों के माध्यम से सारणीबद्ध किया गया था।

भूतपूर्व उद्योग राज्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने लघु उद्योग की समस्या के बारे में आयोजित कार्यशाला में यह जानकारी देते हुए कहा कि इन कच्चे मालों का वितरण प्रत्येक इकाई को उसके क्षमता मूल्यांकन के आधार पर किया जा रहा है।

श्री सिंह ने कहा कि देश में सहायक उद्योगों के विकास के लिए अन्तरविभागीय दलों ने सार्वजनिक क्षेत्र की 50 से भी अधिक इकाइयों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप इन इकाइयों से सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को कुल सप्लाई वर्ष 1969-70 में 27.72 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1981–82 में 233.26 करोड़ रुपये हो गई।

कार्यशाला में भाग लेने वाले विभिन्न संस्थानों के एक सौ प्रतिनिधियों ने बड़ी और लघु इकाइयों के बीच घनिष्ठ सम्बन्धों की आवश्यकताओं पर जोर दिया।

लघु इकाइयों के कार्य निष्पादन का उल्लेख करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि 1981-82 में 9.6 लाख लघु इकाइयां थीं। इन इकाइयों ने 32,600 करोड़ रुपये मूल्य का उत्पादन किया। 75 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया और 2,000 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात किया। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इन इकाइयों का उत्पादन 32,873 करोड़ रुपये (1979-80 मूल्य) होने और इनसे 89 लाख लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है।

और अधिक गांवों में डाकघर सुविधाएं

वर्ष 1981-82 में 1601 ग्रामीण डाकघर खोले गए। 1982-83 का लक्ष्य 1000 है जिसमें से 31-1-83 तक 835 डाकघर खोले जा चुके हैं। 1983-84 में खोले जाने वाले ग्रामीण डाकघरों की संख्या 2500 है। इसमें ग्राम पंचायत तथा अन्य गांव भी शामिल हैं।

छठी योजना में 1980–85 के प्रारम्भ में यानी 1-4-1980 को देश में डाकघरों की संख्या 1,36,999 थी। छठी योजना-अवधि में 8,000 ग्रामीण डाकघर खोले जाने की व्यवस्था है।

फलों और सब्जियों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि

ताजे फलों और सब्जियों का निर्यात वर्ष 1982–83 के पहले दस महीनों (अप्रैल 1982–जनवरी 1983) में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में दुगुना हो गया है।

इस वर्ष के पहले दस महीनों में अस्थाई रूप से 15,402 टन ताजे फलों का निर्यात हुआ जिसका मूल्य 12.19 करोड़ रुपये है। वर्ष 1981-82 की इसी अवधि के दौरान 6.15 करोड़ रुपये मूल्य के 7110 टन ताजे फलों का निर्यात हुआ था।

श्रमिकों के लिए आवास योजना

सरकार ने पहली अप्रैल 1983 से खनिज, लोहा, अभ्रक, चूना पत्थर तथा डोलोमाइट खान श्रमिकों के लिए आवास योजना में संशोधन किया है। बीड़ी श्रमिकों के लिए आवास योजना में भी संशोधन किया गया है।

श्रम मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, टाइप-I आवास योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता 7500 रुपये होगी। यह सहायता प्रति मकान की अनुमानित लागत 10,000 रुपये का 75 प्रतिशत या निर्माण की वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत, जो भी कम होगी, के हिसाब से दी जाएगी।

खनिज लोहा श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता टाइप-II आवास योजना के अन्तर्गत प्रति मकान 15,000 रुपये (यह सहायता 20,000 रुपये की अनुमानित लागत का 75 प्रतिशत होगी) या वास्तविक निर्माण लागत का 75 प्रतिशत, जो भी कम होगी, के हिसाब से दी जाएगी।

उक्त दोनों योजनाओं (टाइप-I तथा टाइप-II) के अन्तर्गत निर्मित मकानों को 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा 15 प्रतिशत अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित किया जाएगा। यदि इन जातियों के श्रमिक नहीं हैं तो उस स्थिति में इनके लिए आरक्षित मकानों को सामान्य श्रेणी के श्रमिकों को दे दिया जाएगा।

इन मकानों का निर्माण कार्य सरकार द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृत किए जाने की तिथि से नौ महीने के अन्दर पूरा किया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार को दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि प्रति मकान निर्माण की वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत होगी तथा अधिकतम राशि 3000 रुपये होगी। इस योजना के अन्तर्गत एक मकान में कम से कम एक कमरा, रसोईघर के लिए स्थान, एक स्नान घर तथा एक शौचालय उपलब्ध कराया जाएगा।

ग्रामीण विद्युतीकरण में और अधिक प्रयास चाहिए

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री चन्द्र शेखर सिंह ने राज्य विद्युत बोर्डों के अध्यक्षों से छठी योजना में बिजली उत्पादन और ग्रामीण विद्युतीकरण के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के रास्ते में आने वाली रुकावटों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के उपाय करने का आह्वान किया है।

पिछले दशक में ग्रामीण विद्युतीकरण की उपलब्धियों पर संतोष प्रकट करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि योजना की शेष अवधि में इस क्षेत्र में और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों, जहां बिजली महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, के तेजी से समन्वित विकास के लिए सरकार के आश्वासन को दोहराया। पूरे देश में इस समय 8 प्रतिशत की बिजली की कमी को अगले वर्ष 5 प्रतिशत तक लाया जाएगा और 1984-85 तक पूर्ति और मांग को बराबर कर दिया जाएगा। □

लंगरोया गांव का कायाकल्प

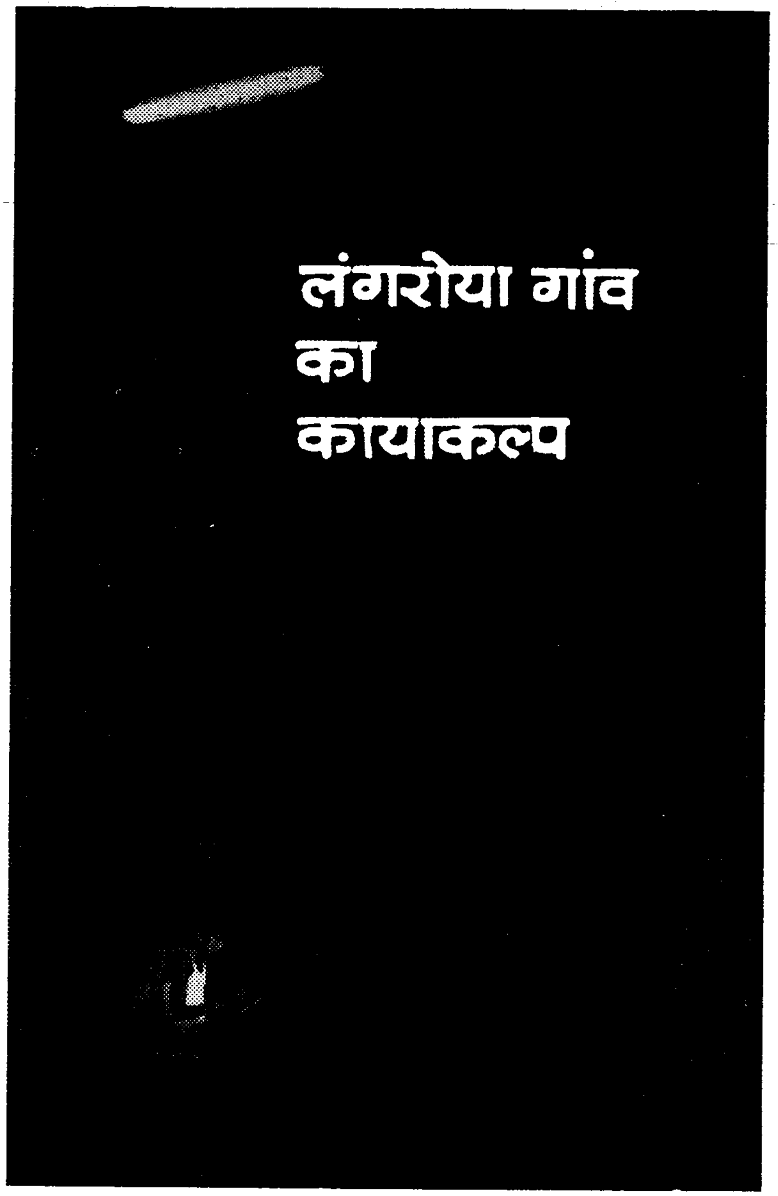

जालंधर में लंगरोया आज एक आदर्श गांव है। आजकल यहां काफी चहल-पहल नजर आती है।

परम्परा से भारत के गांवों में प्राय: जो मिथक पाए जाते हैं वे लगभग सभी इस गांव में भी थे। इस गांव में रहने वाले 3200 लोगों में से अधिकतर अनपढ़ हैं। उनकी फसलें इन्द्र देवता की कृपा पर फलती-फूलती अथवा नष्ट होती थीं। यहां की गलियां कभी भी जगमगाई नहीं थीं।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय कृषक और उर्वरक सहकारी समिति (इफ्को) द्वारा अपनाए जाने के बाद इस गांव का धीरे-धीरे कायाकल्प होने लगा।

प्रारम्भिक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 284 लोगों को पीले कार्ड मिले हुए थे जिनमें 101 अनुसूचित जातियों के थे। पंजाब में पीले कार्ड उन्हें दिए जाते हैं जिनकी वार्षिक आय 3600 रुपये से कम होती है। इन कार्डधारियों को रियायती दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

गांव में 1236 एकड़ कृषि योग्य भूमि है जिसमें अधिकतर छोटी जोते हैं। इफ्को ने सबसे पहले इस गांव को सुधारने के लिए अपने संगठित प्रयास किए। सिंचाई के लिए नलकूप खोदे गए। किसानों को बहुत ही सस्ती दरों पर अच्छे किस्म के बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध कराई गई। खेती के क्षेत्रफल के साथ-साथ प्रति एकड़ उपज में भी वृद्धि होने लगी।

इफ्को ने ग्राम पंचायत को खेती-बाड़ी के उपकरण सप्लाई कराए। इन्हें न खरीद सकने वाले-छोटे किसानों को मामूली दरों पर किराए पर दिया गया। पंचायत को सड़कों और नालियों के निर्माण के लिए 40,000 रुपये की सहायता दी गई।

इस गांव में 4500 दुधारु और जुताई वाले पशु हैं। उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पशु अस्पताल को और सुदृढ़ किया जा रहा है। अब गांव वाले मुर्गीपालन और पशुपालन का कार्य भी शुरू कर रहे हैं।

आर्थिक हालत सुधरने से ग्रामीण लोग पढ़ाई-लिखाई में रुचि लेने लगे हैं। स्कूलों में छात्रों की संख्या में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। महिला सर्कल सुपरवाईजर ने बालवाड़ी और दस्तकारी केन्द्र आयोजित किए और विभिन्न ग्रामीण दस्तकारी में 40 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। □

RN 708/57
P & T Regd. No. D (DN) 98
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at Civil Lines Post Office, Delhi

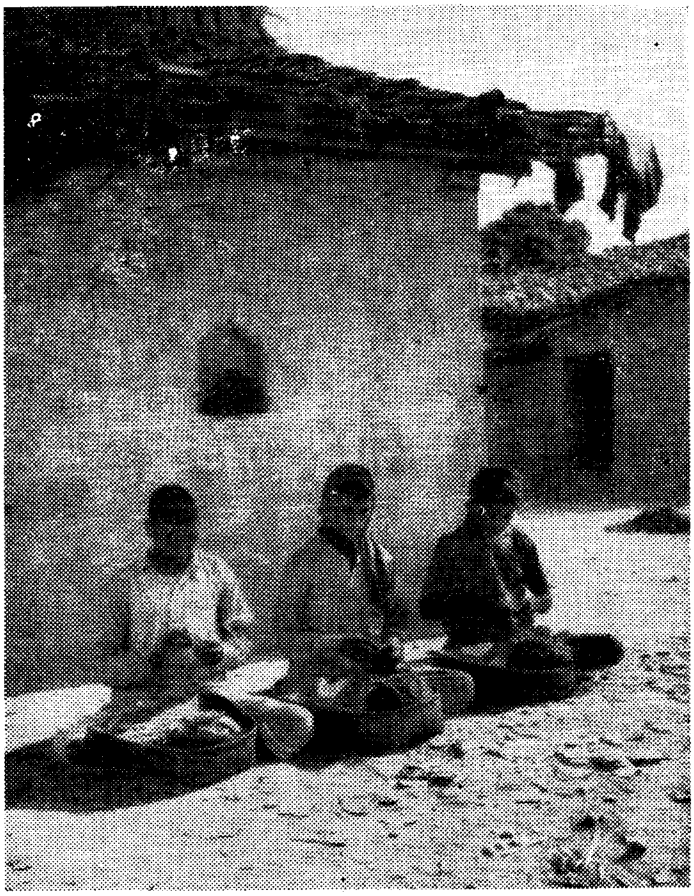

ग्रामीण विकास और रोजगार के अवसर जुटाने के लिए कुटीर और ग्रामोद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बीड़ी बनाने में ग्रामीण युवकों को रोजगार का अच्छा साधन मिल रहा है।

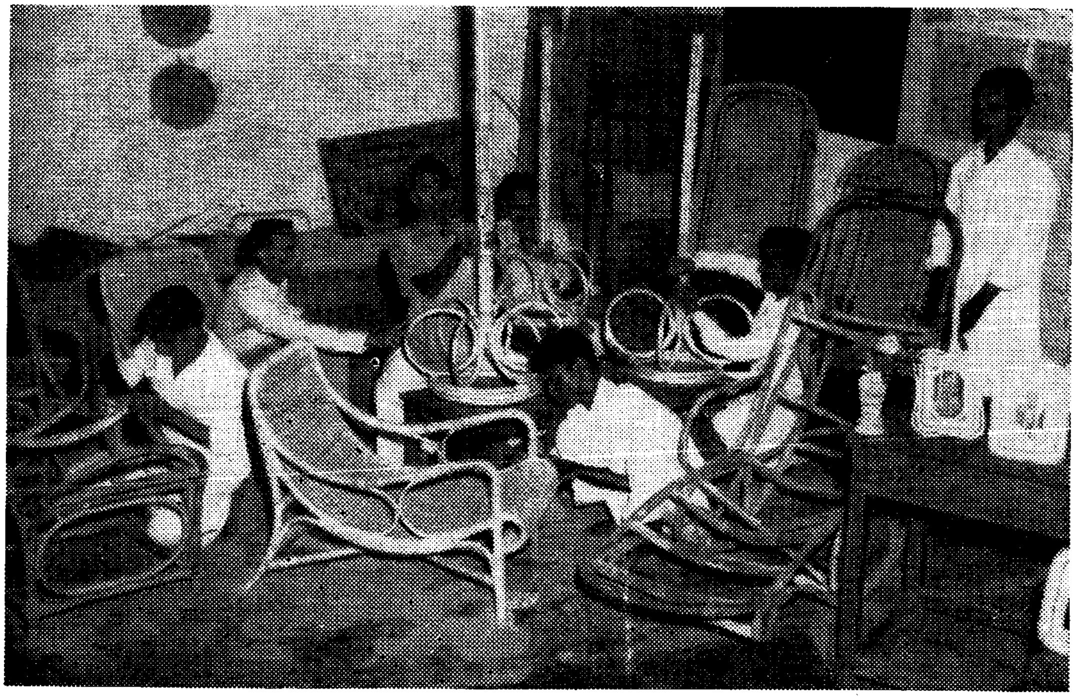

गांव में बन रही बांस और बेंत की वस्तुएं शहरी बाजारों में ख्याति प्राप्त कर रही हैं।

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित।